# बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु

# मतगणना अनुदेश

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार
32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

© बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, 2014

दूरभाष : 0612-2231563
फैक्स : 0612-2231562
वेबसाईट : **www.bsea.bih.nic.in**

# प्रस्तावना

विभिन्न सहकारी समितियों के निर्वाचन के लिए मतदान कार्य संपन्न होने के पश्चात मतों की गणना का कार्य महत्वपूर्ण है। इस प्रयोजन हेतु प्राधिकार द्वारा यह हस्तपुस्तिका तैयार की गई है, जिसमें मतगणना कार्य से संबंधित सभी पहलूओं पर स्पष्ट मार्ग–निर्देश हैं। मतगणना कार्य से जुड़े सभी पदाधिकारियों/कर्मियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन निदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे एवं तदनुसार मतगणना कार्य पूरा करेंगे। प्राधिकार को यह आशा है कि संबंधित पदाधिकारी/कर्मी पूरी स्वच्छता एवं पारदर्शिता के साथ मतगणना कार्य को पूरा करेंगे, एवं स्वतंत्र एवं स्वच्छ निर्वाचन संपन्न कराने में प्राधिकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

**( फूल सिंह )**
मुख्य चुनाव पदाधिकारी

# अनुक्रमणिका


| क्रमांक | अध्याय | विषय सूची | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | अध्याय 1 | निर्वाचन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी तथा प्रेक्षक की भूमिका | **7-8** |
| 2 | अध्याय 2 | मतगणना के लिए प्रशिक्षण | **9** |
| 3 | अध्याय 3 | मतगणना अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति | **10-11** |
| 4 | अध्याय 4 | मतगणना के लिए नियत किये गए स्थान में प्रवेश | **12** |
| 5 | अध्याय 5 | निर्वाचन अभ्यर्थियों को मतगणना कार्यक्रम की जानकारी तथा मतगणना कार्य की निरंतरता | **13** |
| 6 | अध्याय 6 | आपात स्थिति में स्थगित मतदान/ पुनर्मतदान से सम्बन्धित मतों की गणना | **14** |
| 7 | अध्याय 7 | मतगणना कक्ष के लिए वर्जनाएँ | **15** |
| 8 | अध्याय 8 | मतगणना कार्य में लगे पदाधिकारियों/ कर्मियों के लिए अनुशासन | **16** |
| 9 | अध्याय 9 | प्रमुख मतगणना सामग्री | **17** |
| 10 | अध्याय 10 | गणना पटलों की संख्या और उनकी व्यवस्था | **18** |
| 11 | अध्याय 11 | मतपेटी को खोला जाना : प्रारंभिक तथा विस्तृत गणना | **19-26** |
| 12 | अध्याय 12 | गणना की समाप्ति के पूर्व मतपत्रों के विनष्ट हो जाने, हानि पहुँच जाने आदि की दशा में अपनाई जाने वाली कार्रवाई | **27** |
| 13 | अध्याय 13 | पुनर्गणना | **28** |
| 14 | अध्याय 14 | मतों की गणना के पश्चात निर्वाचन कागजातों की सुरक्षित अभिरक्षा | **29** |

# परिशिष्ट एवं प्रपत्र


| क्रमांक | अनुलग्नक | विषय सूची | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | परिशिष्ट 1 | मतगणना हॉल का ले आउट | **30** |
| 2 | परिशिष्ट 2 | विधिमान्य एवं अविधिमान्य मतपत्र के नमूने | **31-47** |
| 3 | परिशिष्ट 3 | विधिमान्य और अविधिमान्य मतपत्रों के संबंध में निर्णय लेने हेतु गणना पर्यवेक्षकों/ सहायकों के लिए महत्वपूर्ण निदेश | **48-49** |
| 4 | प्रपत्र-क (1) | मतों की गणना के लिए गणना-शीट का नमूना | **50** |
| 5 | प्रपत्र-क (2) | प्रपत्र-क (1) में अभ्यर्थीवार प्राप्त मतों की कुल संख्या का अंकन | **51** |
| 6 | प्रपत्र-क (3) | निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम-पत्र (Result-Sheet) | **52** |
| 7 | प्रपत्र-ख | निर्वाचन परिणाम की विवरणी | **53-54** |
| 8 | प्रपत्र-ग | 95% से अधिक मतदान होने पर परिणाम घोषणा की अनुमति हेतु प्रपत्र | **55** |

## अध्याय-1

# निर्वाचन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी तथा प्रेक्षक की भूमिका

मतदान के पश्चात मतों की गणना तथा उसके आधार पर निर्वाचन का परिणाम को घोषित करना निर्वाचन प्रक्रिया का अन्तिम दौर है जो कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतों की गणना में किसी प्रकार की भूल होने की स्थिति में मतदान का परिणाम भी दूषित हो जाता है। अतएव यह आवश्यक है कि निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी तथा मतों की गणना से संबंधित अन्य सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी मतगणना की प्रक्रिया के बारे में सम्यक रूप से अवगत रहें।

2. मतों की गणना तथा उसका परिणाम घोषित करने के बारे में प्राधिकार के निदेश आगे के अध्यायों में दिये गये हैं। यह आवश्यक है कि निर्वाचन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी तथा मतों की गणना से संबंधित सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी इन निदेशों का अध्ययन ध्यान से करें ताकि मतों की गणना के दौरान किसी प्रकार की शिकायत या भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं होने पाये।

3. मतगणना कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/मतगणना पर्यवेक्षक/गणना सहायक के निकट संबंधी/मित्र इत्यादि भी पैक्स चुनाव में अभ्यर्थी हो सकते हैं। अगर मतगणना हॉल में किसी अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता/गणन अभिकर्त्ता द्वारा यह आपत्ति की जाती है कि अमुक पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/गणना पर्यवेक्षक/गणना सहायक अमुक अभ्यर्थी के मित्र या संबंधी हैं और यदि यह आरोप सही पाया जाता हो तो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संबंधित सरकारी सेवक को मतगणना संबंधी कार्यों से मुक्त करते हुए मतगणना परिसर से बाहर जाने का निदेश दिया जाएगा।

**4. निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी/अन्य पदाधिकारियों की भूमिका :**

बिहार सहकारी सोसाइटी(संशोधन) नियमावली, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित बिहार सहकारी सोसाईटी नियमावली, 1959 के नियम 21म तथा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 5(2) एवं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 के नियम 6(2) के अधीन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 6477 दिनांक 12.05.2012 द्वारा सहकारी समितियों के निर्वाचन संपन्न कराने हेतु निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। मतदान के पश्चात निर्वाचन पदाधिकारी का महत्वपूर्ण कार्य मतों की गणना कर निर्धारित प्रपत्र में मतगणना का परिणाम अंकित करना एवं सफल अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करना एवं उन्हें विहित **प्रपत्र** में निर्वाचन प्रमाण-पत्र देना है। निर्वाचन पदाधिकारी अपने पर्यवेक्षण में उप निर्वाचन पदाधिकारियों की सहायता से मतगणना कार्य सम्पादित कर सकते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०) निर्वाचन पदाधिकारी की सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में उप निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त करेंगे ताकि निर्वाचन पदाधिकारी एवं उप निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा मतगणना कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न कराया जा सके।

निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी को मतगणना में सहायता हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०)अन्य सरकारी कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायक के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। इस कार्य हेतु परिपक्व, अनुभवी और कुशल पदाधिकारियों/कर्मियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। **प्रत्येक गणना पटल के लिए एक मतगणना पर्यवेक्षक तथा तीन मतगणना सहायक नियुक्त किये जायेंगे।** पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदान पदाधिकारियों में से भी समुचित चयन कर मतगणना सुपरवाईजर/मतगणना सहायक नियुक्त किया जा सकता है। परन्तु किसी सहकारी समिति के निर्वाचन हेतु कार्य कर चुके पीठासीन पदाधिकारी/मतदान पदाधिकारी को उससे भिन्न सहकारी समिति के मतों की गणना में लगाया जायेगा और तदनुसार नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।

**5. पर्यवेक्षक - राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया पर नजर रखने एवं प्राधिकार को प्रतिवेदन देने हेतु आवश्यकतानुसार यथेष्ट संख्या में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती है। ये पर्यवेक्षक मतगणना कार्य पर भी गहरी नजर रखेंगे और जहाँ कहीं भी उन्हें प्राधिकार के निदेशों के अनुरूप मतगणना कार्य संपन्न नहीं कराये जाने की जानकारी मिलेगी, वहाँ हस्तक्षेप कर वे संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी को समुचित मार्गदर्शन देंगे तथा वस्तुस्थिति से प्राधिकार/ जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( स०स० ) को भी अवगत करायेंगे। पर्यवेक्षकों को मतगणना संबंधी निदेशों की पूर्ण जानकारी उपलब्ध रहे, इसके लिये इस अनुदेश पुस्तिका की प्रति उन्हें पहले ही उपलब्ध करा दी जानी चाहिए।**

## अध्याय-2

# मतगणना के लिए प्रशिक्षण

मतदान की प्रक्रिया की तरह मतगणना की प्रक्रिया भी काफी जटिल है। मतपेटी खोलने से लेकर मतगणना परिणाम की घोषणा और तत्पश्चात गिनती किये हुए मतपत्रों, प्रपत्रों में भरे गए मतगणना संबंधी आंकड़ों एवं अन्य कागजात को सीलबन्द करके रखने तक के जो विस्तृत कार्य हैं, उनके सम्बन्ध में मतगणना कर्मियों को आवश्यक निर्देश, अनुभव एवं दक्षता प्राप्त करना आवश्यक है। मतगणना में छोटी से छोटी भूल भी निर्वाचन पदाधिकारी को परेशान कर सकती है, साथ ही मतगणना के अंतिम परिणाम को दूषित कर सकती है। **अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि मतगणना कार्य से जुड़े सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को मतगणना संबंधी प्रशिक्षण दो बार निश्चित रूप से दिलाने की व्यवस्था की जाय।**

## अध्याय-3

# मतगणना अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति

अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त निर्वाचन अभिकर्त्ता ही उसके लिए मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करेंगे। प्राधिकार के पत्रांक 343 दिनांक 12.05.09 द्वारा निर्गत निदेश के अनुसार किसी भी सहकारी समिति के निर्वाचन का प्रत्येक अभ्यर्थी अपने चुनाव कार्य के लिये अधिकतम दो निर्वाचन अभिकर्त्ता की नियुक्ति कर सकता है, जो उसके मतदान तथा मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में भी कार्य करेगा। किन्तु, किसी एक समय एक ही व्यक्ति निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में कार्य कर सकता है, दूसरा व्यक्ति रिजर्व के रूप में रहेगा। अभ्यर्थी किसी भी समय अपने हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति रद्द कर सकता है और उसकी जगह नया अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकता है। निर्वाचन अभिकर्त्ता की निर्वाचन के पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में भी अभ्यर्थी नया अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकता है। **जो अभ्यर्थी अपना कोई निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता नियुक्त नहीं करना चाहे, वह ऐसा करने के लिये स्वतंत्र है।** स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी के लिये एक ही व्यक्ति निर्वाचन अभिकर्त्ता, मतदान अभिकर्त्ता तथा मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करेगा। निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति **प्रपत्र-ई 10** में की जायेगी। **निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतदान अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में उसी व्यक्ति की नियुक्ति की जायेगी जो संबंधित समिति का सदस्य हो, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं।''**

पुन: स्पष्ट किया जाता है कि जिन सदस्यों को मतगणना अभिकर्त्ता बनाया जाएगा उनका नाम संबंधित सहकारी समिति की मतदाता सूची में होना आवश्यक है, अर्थात् ऐसे मतदाता सदस्यों को ही मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा जो कट-ऑफ तिथि के पहले उक्त समिति के सदस्य बन गये हैं।

2. अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की दो प्रतियाँ मतगणना अभिकर्त्ता को देगा जिनमें एक वह अपने पास रखेगा तथा दूसरी प्रति को मतगणना के लिए निश्चित की गई तारीख को नियत समय से कम-से-कम एक घंटा पूर्व निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगा और उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा पर प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर करेगा और वह पदाधिकारी मतगणना अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर ऊपर दिये गए उसके हस्ताक्षर से मिलान करके एवं हर तरह से संतुष्ट होने के बाद उसे मतगणना कक्ष में प्रवेश करने के समय प्रस्तुत करने के लिए पहचान-पत्र अग्रिम रूप से जारी कर देगा और इस नियुक्ति पत्र को अपनी अभिरक्षा में रख लेगा। यह पहचान पत्र निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ होना चाहिए जिससे कि यह मालूम हो कि वह किसका अभिकर्त्ता है। मतगणना प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता अपने द्वारा हस्ताक्षरित लिखित घोषणा द्वारा पूर्व नियुक्त

मतगणना अभिकर्त्ता की नियुक्ति को प्रतिसंहृत कर सकता है तथा ऐसी प्रतिसंहरण वाली घोषणा को निर्वाचन पदाधिकारी या ऐसे अन्य पदाधिकारी को जो इसके लिए प्राधिकृत किया गया हो, को प्रस्तुत कर सकता है।

3. निर्वाचन पदाधिकारी मतों की गणना के लिए निर्धारित तिथि से दो दिन पहले सभी निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थियों से मतगणना अभिकर्त्ताओं की उनकी फोटो सहित सूची प्राप्त कर लेंगे। फोटो सहित सूची देने पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के मतगणना अभिकर्त्ताओं के फोटो पहचान पत्र वहीं पर अपनी सील मुहर और हस्ताक्षर के साथ जारी कर देंगे। मतगणना के दिन केवल पहचान पत्र वाले मतगणना अभिकर्त्ता को गणना हाल के अन्दर जाने की अनुमति दी जायेगी। उपर्युक्त प्रावधानों से सभी अभ्यर्थियों को अग्रिम रूप से कृपया अवगत करा दिया जायेगा। मतगणना अभिकर्त्ता/अभ्यर्थी को अपने पद की मतगणना से संबंधित कमरे/कक्ष के किसी भी पटल के पास जाने की अनुमति दी जा सकती है। परन्तु उन्हें किसी भी हालत में मतपत्र को हस्तगत कर देखने की या किसी मतपत्र को स्पर्श करने की छूट नहीं दी जायगी।

4. स्पष्ट किया जाता है कि मतगणना के दिन केवल अभ्यर्थी तथा निर्वाचन अभिकर्त्ता/गणना अभिकर्त्ता को ही मतगणना हॉल के अन्दर जाने का अधिकार है। निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी एक ही गणन अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकता है, अर्थात गणना हॉल के अन्दर एक पद विशेष के लिये एक से अधिक गणना टेबुल रहने पर भी किसी एक अभ्यर्थी द्वारा एक ही गणन अभिकर्त्ता की नियुक्ति की जा सकेगी।

5. एक समय में एक टेबुल के पास अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता/गणन अभिकर्त्ता में से केवल एक ही व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।

6. राज्य के मंत्री/विधायक/सांसद तथा अन्य राजनैतिक नेता या उनके रिश्तेदार या अन्य प्रभावशाली व्यक्ति आदि भी सहकारी समिति के निर्वाचन में विभिन्न पदों के प्रत्याशी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों द्वारा किसी राजनीतिक या प्रभावशाली व्यक्ति को गणना अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे किसी व्यक्ति को मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति देने के पूर्व निर्वाचन पदाधिकारी यह सुनिश्चित हो लेंगे कि वह व्यक्ति उसी समिति का सदस्य है, जिस समिति से संबंधित मतों की गणना की जा रही है और वह कट-ऑफ तिथि के पहले उक्त समिति का सदस्य बना है। अगर निर्वाचन पदाधिकारी को यह महसूस हो कि राजनीतिक/सामाजिक रूप से प्रभावशाली/आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त किये जाने से मतगणना कार्य प्रभावित हो सकता है तब उनके द्वारा वैसे व्यक्तियों को मतगणना अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। ऐसी स्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित अभ्यर्थी को उसी समिति के किसी अन्य मतदाता को गणना अभिकर्त्ता के रूप में नियुक्त करने हेतु निदेशित कर सकेंगे।

7. अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्त्ता/गणन अभिकर्त्ता द्वारा गणना हॉल के अन्दर अनुशासन भंग करने की स्थिति में उसे तुरंत हॉल से बाहर कर दिया जायेगा और उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी। मतगणना कक्ष के अंदर पूर्ण अनुशासन एवं व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेवारी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी की होगी।

## अध्याय-4

# मतगणना के लिए नियत किये गए स्थान में प्रवेश

मतगणना स्थल पर निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त है :–

(क) ऐसे व्यक्ति जिसे मतगणना में सहायता करने के लिए नियुक्त किया जाय;

(ख) प्राधिकार या जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;

(ग) अभ्यर्थी और उसका निर्वाचन अभिकर्त्ता/मतगणना अभिकर्त्ता, और

(घ) निर्वाचन के संबंध में कर्त्तव्यारूढ़ लोक सेवक।

निर्वाचन के संबंद्ध में कर्त्तव्यारूढ़ ''लोक सेवक'' के अन्तर्गत सामान्यत: पुलिस अधिकारी नहीं आते हैं। ऐसे अधिकारियों को चाहे वे वर्दी में हो या सादे लिवास में, सामान्य नियमानुसार गणना कक्ष के अन्दर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जबतक कि निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी उन्हें विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अथवा किसी विशेष प्रयोजन के लिए अन्दर बुलाने का निर्णय नहीं लें। यह सुनिश्चित किया जाये कि अनावश्यक शक्ति प्रदर्शन से अभ्यर्थी/अभिकर्त्ता के बीच आतंक अथवा भय का वातावरण कायम नहीं हो।

2. मतगणना की अवधि में कोई भी मंत्री, विधायक या सांसद उस स्थान पर जहाँ बज्रगृह/मतगणना हॉल स्थापित किया गया है, भ्रमण पर नहीं जायेंगे। परन्तु यदि उन्हें किसी विशेष व्यक्तिगत या सामाजिक बाध्यता(दाह संस्कार, श्राद्ध, विवाह आदि) के कारण उक्त स्थानों पर जाना आवश्यक हो तो उसकी अग्रिम सूचना राज्य निर्वाचन प्राधिकार को देते हुए उन्हें उक्त स्थानों पर जाने की इजाजत रहेगी। पर किसी भी परिस्थिति में उन्हें बज्रगृह तथा मतगणना केन्द्र के अन्दर या उसके इर्द-गिर्द में जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि उनके द्वारा बज्रगृह तथा मतगणना हॉल के अन्दर या इर्द-गिर्द में जाने का प्रयास किया जाता है तो उन्हें सख्ती से रोका जायेगा तथा आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

3. गणन अभिकर्त्ता को मतगणना के नियत स्थान में तबतक प्रवेश नहीं करने दिया जाय जबतक कि वह अपनी नियुक्ति पत्र की द्वितीय प्रति नहीं देते हैं।

4. उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार ही मतगणना अभिकर्त्ता को हॉल के भीतर प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से अत्यधिक भीड़-भाड़ और अव्यवस्था होगी तथा विधि और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जायगी। इससे गणना की प्रगति एवं शुद्धता भी प्रभावित होगी।

5. यदि निर्वाचन/उप निर्वाचन पदाधिकारी या अन्य अधिकारी को गणना कक्ष में किसी व्यक्ति की उपस्थिति के संबंध में युक्तियुक्त शंका हो, तो अपेक्षानुसार उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है, भले ही प्रवेश के लिए उसे वैध प्राधिकार पत्र प्राप्त हो।

6. अपने कर्त्तव्यों के पालन में निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी केवल राज्य निर्वाचन प्राधिकार एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०) के आदेशों से आबद्ध हैं। उन्हें राजनीतिक नेताओं से जिसमें मंत्री भी सम्मिलित हैं आदेश नहीं लेने हैं, या उनके लाभ के लिए पक्षपात नहीं करना है।

7. पत्रकारों/फोटोग्राफरों द्वारा मतगणना कक्ष के बाहर से फोटो लिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

## अध्याय-5

# निर्वाचन अभ्यर्थियों को मतगणना कार्यक्रम की जानकारी तथा मतगणना कार्य की निरंतरता

जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना के लिए जो भी तारीख, समय और स्थान विनिर्दिष्ट करें, उसके संबंध में दिये गये प्रपत्र में अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्त्ताओं को इसकी पूर्व सूचना दे दें। **यदि किसी अपरिहार्य कारण से पूर्व में निर्दिष्ट स्थान, तिथि और समय में परिवर्त्तन करना अनिवार्य हो जाये तो पुनः ऐसे परिवर्त्तन की सूचना प्रत्येक अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता को लिखित दे देंगे।**

2. मतगणना कार्य का प्रारम्भ निश्चित रूप से विनिर्दिष्ट समय पर कर देना चाहिए।

3. मतों की गणना यथासाध्य लगातार जारी रहेगी। फिर भी यदि किसी अपरिहार्य कारणवश मतगणना स्थगित करनी पड़े तो उस स्थिति में मतपत्र एवं अन्य कागजात सीलबन्द कर सुरक्षित रखे जायेंगे और इस परिस्थिति में अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्त्ता/ गणन अभिकर्त्ता, अगर वे चाहें, अपनी सील लगा सकते हैं। यदि कोई हंगामा या विधि व्यवस्था के कारण अथवा कोई प्राकृतिक आपदा के कारण मतगणना स्थगित करनी पड़े तो स्थिति सामान्य होने की दशा में ऊपर लिखित सीलबन्द पैकेटों को खोलकर पुनः मतगणना प्रारम्भ की जायेगी तथा उस वक्त वही प्रक्रिया अपनाई जायगी जैसा कि प्रारम्भ में की गई थी। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि रोशनी के अभाव या अन्य कई कारणों से रात्रिकाल में मतों की गणना सुरक्षा के दृष्टिकोण से चालू रखना उचित और संभव नहीं प्रतीत हो। इस स्थिति में अन्तिम क्षण में उतनी ही मतपेटिका बज्रगृह से गणना कक्ष में लायी जायेगी जिनमें डाले गये मतों की गणना सुरक्षा के दृष्टिकोण से समय पर हो सके। परन्तु इसमें यह अवश्य ध्यान में रखा जाय कि जिन-जिन मतदान केन्द्रों के मतों की गणना हेतु मतपेटिका अन्तिम क्षण में लायी गयी हो उन मतदान केन्द्रों में डाले गये सभी मतों की गणना उसी दिन ही सम्पन्न हो जानी चाहिए। इस प्रकार रात्रि काल के लिए मतों की गणना स्थगित करने की स्थिति में ऊपर बताये गये तरीके से सभी मतपत्र एवं कागजात सीलबन्द कर सुरक्षित रखे जायेंगे और इस परिस्थिति में अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्त्ता/गणन अभिकर्त्ता, अगर वे चाहे, अपनी सील लगा सकते हैं। अगले दिन पुनः यथासमय मतों की गणना प्रारंभ की जायगी और उस वक्त भी वही प्रक्रिया अपनाई जायगी जो शुरू में अपनाई गई थी।

## अध्याय-6

# आपात स्थिति में स्थगित मतदान/ पुनर्मतदान से सम्बन्धित मतों की गणना

कतिपय स्थितियों में मतदान स्थगित करने/पुनर्मतदान कराने की व्यवस्था है। ऐसा हो सकता है कि केन्द्रों में राज्य निर्वाचन प्राधिकार के निदेशानुसार स्थगित मतदान को पुनः कराया गया हो या मतदान पुनः बिल्कुल नये सिरे से कराया गया हो। ऐसी स्थिति में स्थगित मतदान या पुनर्मतदान से सम्बन्धित मतों की गणना भी एक साथ ही की जायगी बशर्ते कि सम्बन्धित सहकारी समिति के मतों की गणना समाप्त होने के पूर्व इस प्रकार स्थगित/ पुनर्मतदान से सम्बन्धित मतपेटिका गणना स्थल पर पहुँच गयी हो। कहने का मतलब यह है कि स्थगित/ पुनर्मतदान मतों से सम्बन्धित मतपेटिका प्राप्त होने पर उस मतपेटिका में डाले गये मतों की गणना भी की जायेगी मानों कि इस पेटिका में डाले गये मतपत्र की गणना के लिए भी कार्यक्रम पहले से बनाया गया हो।

## अध्याय-7

# मतगणना कक्ष के लिए वर्जनाएँ

1. मतगणना कक्ष के आस-पास भीड़ का जमाव न होने दें।
2. मतगणना कक्ष के आस-पास शोर-शराबा, नारेबाजी एवं किसी के द्वारा लाउड स्पीकर न बजाया जाय। केवल इसका उपयोग निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से चुनाव परिणाम की घोषणा के निमित्त किया जा सकता है।
3. अस्थाई संरचना(शामियाना आदि) की हालत में खुले तार (नन इन्सुलेटेड) से वायरिंग नहीं की जानी चाहिए।
4. अस्थाई संरचना के समीप या भीतर चाय आदि बनाने के लिए किसी भी रूप में अग्नि नहीं जलानी चाहिए।
5. स्थाई या अस्थाई गणना केन्द्र के भीतर धूम्रपान का बिल्कुल निषेध होना चाहिए।
6. किसी भी मतगणना कर्मी एवं अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता/गणन अभिकर्त्ता को नशे की हालत में मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं करने दें।

## अध्याय-8

# मतगणना कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए अनुशासन

मतगणना कर्मियों के आचरण एवं हाव-भाव से यह परिलक्षित होना चाहिए कि वे किसी भी अभ्यर्थी के पक्ष अथवा विपक्ष में दिलचस्पी नहीं रखते। उन्हें बिना किसी भय अथवा दबाव के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से नियमानुसार अपने कर्त्तव्यों का सम्पादन करना चाहिए। गलत आचरण के लिए भारतीय दण्ड संहिता एवं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 में दण्ड एवं जुर्माना का प्रावधान है। हर हालत में अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखना तथा गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है। उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (6) में स्पष्ट उल्लिखित है कि **जिला निर्वाचन पदाधिकारी( स०स० ) या निर्वाचन पदाधिकारी या उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी या लिपिक निर्वाचन के प्रबंध या संचालन में किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कार्य नहीं करेंगे। अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा ( 13 ) में यह उल्लिखित है कि यदि सरकारी सेवारत कोई व्यक्ति निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्त्ता या मतदान अभिकर्त्ता या गणना अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करता है तो वह तीन माह तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा। अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा ( 17 ) के खण्ड ( i ) के उपखण्ड ( ग ), ( घ ) एवं ( च ) में क्रमशः मतपत्रों को कपटपूर्वक विरूपित करने या नष्ट करने या किसी व्यक्ति को किसी मतपत्र की आपूर्त्ति करने या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करने या उसके कब्जे में कोई मतपत्र पाये जाने या मत पत्रों को नष्ट करने या ले जाने संबंधी कार्य के लिए दोषी व्यक्ति के लिए उपधारा** (17) के खण्ड (ii) में दण्ड संबंधी प्रावधान किये गये हैं। अतएव वास्तविक गणना प्रारम्भ करने के पूर्व इन प्रावधानों से सभी को अवगत करा दिया जाना चाहिए। अपेक्षित अनुशासन एवं व्यवस्था के निमित्त गणना कक्ष के दरवाजे/दरवाजों पर पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बल/पुलिस को ड्यूटी पर तैनात कर दें। किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी की अनुमति बिना न तो कक्ष में प्रवेश करने दें न बाहर जाने दें। शौचादि के नाम पर बाहर जाने की अनुमति लेने वाले व्यक्ति पर निगरानी रखें। इस निमित्त अल्पकालिक टॉयलेट (शौचालय आदि) की व्यवस्था नजदीक में ही कर दे सकते हैं। जो व्यक्ति निर्देशों की अवज्ञा करता नजर आये, उन्हें चेतावनी दें तथा उन्हें हटाया भी जा सकता है। **कमरे या कक्ष के भीतर किसी भी व्यक्ति को धूम्रपान तो नहीं ही करने दें, साथ ही यह भी देखें कि कोई नशे में न हो।**

## अध्याय-9

# प्रमुख मतगणना सामग्री

मतगणना पटल पर निम्नलिखित निर्वाचन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी :-

1. पेन्सिल/डॉट पेन
2. चाकू या ब्लेड
3. कागज (एक ताव)
4. गणना पर्चियाँ
5. लपेटने के लिए सीटें
6. सूई अथवा सूजा (सूआ)
7. गीला स्पन्ज या छोटे प्याले में पानी
8. रबर बैंड
9. सुतली अथवा रबर पैड
10. पेपर वेट या पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़े
11. सीलिंग मेटेरियल (लाह), मोमबत्ती, मेटलसील (आर) इत्यादि
12. 7 (सात) प्रकार के प्रतिक्षेपित करने वाली रबर की मुहरें जिसपर निम्नांकित प्रविष्टियाँ अंकित हों -
    (क) कोई चिह्न नहीं है,
    (ख) प्रभेदक चिह्न/पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है,
    (ग) एक से अधिक अभ्यर्थी को मत दिया गया है,
    (घ) मतदाता पहचाना जा सकता है,
    (ड.) मतपत्र क्षतिग्रस्त या विकृत है,
    (च) मतपत्र असली नहीं है,
    (छ) विहित उपकरण से भिन्न उपकरण से चिह्न लगाया हुआ है।
13. प्राधिकार द्वारा मतगणना कार्य हेतु विहित प्रपत्र
14. ट्रे
15. कुर्सी
16. टेबुल
17. अपेक्षानुसार दरी

## अध्याय-10

# गणना पटलों की संख्या और उनकी व्यवस्था

सहकारी समिति के अध्यक्ष, सचिव/ कोषाध्यक्ष, अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति से प्रबंध समिति के सदस्य, पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य, अति पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य तथा सामान्य कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रत्येक मतदाता को अलग-अलग यथा अनुमान्य पाँच/ छः मतपत्र दिये जाते हैं और उनके द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवार के पक्ष में मत देकर सभी छः मतपत्रों को एकसाथ एक या एक से अधिक मतपेटिकाओं में डाला जाता है। अर्थात् प्रत्येक प्रयुक्त मतपेटी में उपर्युक्त यथा अनुमान्य पाँच/ छः पदों के लिए व्यवहृत मतपत्र पाये जायेंगे।

2. मतगणना कक्ष का एक सांकेतिक खाका **परिशिष्ट** 1 पर दिया गया है। गणना कक्ष में अधिकतम कितने पटल होंगे, यह गणना कक्ष की संख्या या आकार पर निर्भर करेगा। निर्वाचन पदाधिकारी अपने विवेकानुसार तथा उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए यह तय करेंगे कि एक गणना कक्ष में कितने पटल हों। इसमें यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि गणना पटलों की संख्या इतनी अधिक नहीं हो कि उसपर नियंत्रण रखना संभव नहीं हो सके। प्रत्येक गणना पटल के लिए एक गणना दल होगा जिसमें एक गणना पर्यवेक्षक तथा तीन गणना सहायक होंगे। जैसा कि परिशिष्ट-1 से स्पष्ट होगा कि निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी के लिए उँचा पटल की व्यवस्था की गई है ताकि उनके द्वारा कार्मिकों पर सही निगरानी तथा गणना कक्ष में पूर्ण अनुशासन कायम रखा जा सके। प्रत्येक टेबुल में गणना दल इस प्रकार अपना आसन ग्रहण करेगा ताकि गणना पर्यवेक्षक ऊँचा टेबुल की ओर मुंह रखकर बैठे और उनके दाहिने भाग में तीन गणना सहायक अपना आसन ग्रहण करें।

3. औसतन एक सहकारी समिति के निर्वाचन के लिए मतदान केन्द्र की संख्या एक होगी। कुछ समितियों में यह संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। मतगणना कक्ष का आकार ऐसा होना चाहिए कि एक कक्ष में कम-से-कम पाँच समिति की मतगणना एक साथ चल सके। **एक मतदान केन्द्र वाले समिति के लिए मात्र एक गणना पटल स्थापित किया जायेगा। अगर किसी समिति विशेष में मतदान केन्द्रों की संख्या एक से अधिक हो, तो उसके लिए उतने ही गणना पटल स्थापित किये जायेंगे जितने उस समिति के लिये मतदान केन्द्र हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी समिति में मतदान केन्द्रों की संख्या चार है, तो इस समिति के मतों की गणना के लिए चार गणना पटल स्थापित किये जायेंगे।**

4. इस प्रकार एक मतगणना कक्ष में पाँच या उससे अधिक समितियों से संबंधित सभी पदों की मतगणना एकसाथ कराई जा सकती है। अगर किसी प्रखंड में एक साथ पाँच समितियों की मतगणना कराने हेतु उपयुक्त मतगणना कक्ष उपलब्ध नहीं हो, तो निर्वाचन पदाधिकारी अपने विवेकानुसार एक मतगणना कक्ष में पाँच से कम समितियों की मतगणना एक साथ कराने हेतु स्वतंत्र हैं। एक से अधिक मतगणना कक्ष स्थापित करने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। पर ऐसा मतगणना कक्ष प्रथम मतगणना कक्ष के समीपस्थ ही होना चाहिए ताकि वज्रगृह से मतपेटिकाओं से मतगणना स्थल तक ले आने-जाने एवं विधि-व्यवस्था की समुचित व्यवस्था करने में कोई कठिनाई नहीं हो। यह पूरी तरह जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०)/निर्वाचन पदाधिकारी के विवेक पर छोड़ा जाता है कि वे उपलब्ध संसाधनों से कितनी सुगमता और प्रभावी तरीके से मतगणना कार्य संपन्न करा सकते हैं। अभिप्राय केवल यह है कि मतगणना यथाशीघ्र पूरी कर ली जाय।

## अध्याय-11

# मतपेटी को खोला जाना : प्रारंभिक तथा विस्तृत गणना

**वज्रगृह में एक प्रखंड अन्तर्गत विभिन्न समितियों की मतपेटिकायें उन समितियों के नाम के वर्णानुक्रम के अनुसार सजा कर रखी जाएँगी एवं मतगणना के समय उन्हें उसी क्रम में वज्रगृह से बाहर निकाला जायेगा।** उदाहरण के लिए, किसी प्रखंड में अगर कौआकोल, बनकट, अकबरपुर, आजमनगर, ओझौल एवं खुसरूपुर नामक कुल छः समितियाँ हैं तो वज्रगृह में उन समितियों की मतपेटियाँ निम्न क्रम में रखी जाएगी- अकबरपुर, आजमनगर, ओझौल, कौआकोल, खुसरूपुर एवं बनकट (पहले स्वर व्यंजन से शुरू होने वाले समिति के नाम एवं तत्पश्चात् व्यंजन वर्ण से शुरू होने वाले समिति के नाम)। अगर समितियों के नाम के साथ पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जैसे शब्द जुड़े हों, तो उक्त वर्णानुक्रम सिद्धांत को अपनाते हुए उनके नाम का क्रम निम्नवत् निर्धारित किया जाएगा- उत्तर, दक्षिण, पश्चिम एवं तब पूरब। अगर दो समितियों के नाम एक समान हों, तो उनका क्रम निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। उपर्युक्त उदाहरण में गणना के लिए सर्वप्रथम अकबरपुर के समिति की मतपेटिकायें गणना पटल पर लायी जाएगी, तत्पश्चात् क्रमशः आजमनगर, ओझौल, कौआकोल, खुसरूपुर एवं बनकट की।

विभिन्न पदों के मतों की गणना निम्न क्रम में की जाएगी : - **अध्यक्ष/ सचिव/ कोषाध्यक्ष/ पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य/ अति पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य/ अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य/ सामान्य कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य ।**

**सर्वप्रथम अध्यक्ष पद के लिये मतगणना शुरू की जाएगी एवं मतगणना केन्द्र में मात्र अध्यक्ष पद से संबंधित अभ्यर्थियों/उनके अभिकर्त्ताओं को रहने की अनुमति दी जाएगी ताकि हॉल में अनावश्यक भीड़-भाड़ नहीं हो। जैसे ही अध्यक्ष पद से संबंधित मतों की गणना समाप्त हो जाएगी उससे संबंधित अभ्यर्थियों/उनके अभिकर्त्ताओं को मतगणना हॉल परिसर से बाहर कर दिया जाएगा एवं तत्पश्चात् दूसरे पद के लिए मतगणना आरम्भ कराई जाएगी।**

मतदत्त मतपेटियों (Polled Ballot Boxes) को बज्रगृह से मतदान केन्द्रवार निकाला जायेगा। किसी समिति के एक नंबर के मतदान केन्द्र पर व्यवहृत सभी मतपेटिकाओं को एक ही साथ वज्रगृह से निकालकर पटल संख्या 1 पर लाया जाएगा। अगर उस समिति में दो मतदान केन्द्र है, तो दूसरे नंबर के मतदान केन्द्र पर व्यवहृत सभी मतपेटिकाओं को एकसाथ निकालकर पटल संख्या 2 पर रखा जायेगा। जैसे ही कोई मतपेटी संबंधित गणना पटल पर रखी जाय, अभ्यर्थियों/अभिकर्त्ताओं को यह अनुमति दी जायेगी कि वे यह समाधान कर लें कि उस मतपेटी पर लगी मुहरें यथावत हैं और उनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है।

2. अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता/गणना अभिकर्त्ता मतपेटी पर अपने द्वारा लगाये गये मुहर, यदि कोई हो, एवं पेपर सील की जाँच करने के हकदार हैं। जैसे ही कोई मतपेटी खोलने हेतु लायी जाए, प्रत्येक उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता को यह

पहचान करने की अनुमति दी जाएगी कि वह मतपेटी उसी मतदान केन्द्र की है (जो उसके ऊपर लगे लेबुल से पता चल जायेगा)। अभ्यर्थी/अभिकर्त्ता मतपेटी में प्रयुक्त पेपर सील की क्रम संख्या भी नोट कर सकेंगे।

3. प्रत्येक मतपेटी के पेपर सील का मिलान पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दिये गये पेपर सील लेखा में अंकित की गई संख्या से किया जाना चाहिए। यदि पेपर सील लेखा और किसी विशिष्ट मतपेटी में वस्तुतः व्यवहृत पेपर सील की क्रम संख्या का मिलान करने पर यह पाया जाय कि क्रम संख्या नहीं मिलती है, तो प्रथमदृष्टया यह संदेह किया जा सकता है कि उस मतपेटी में कोई गड़बड़ी की गई है अथवा पेपर सील लेखा में ही कोई गलती है। इस प्रश्न का निर्णय पीठासीन पदाधिकारी द्वारा समर्पित पेपर सील लेखा और अन्य सुसंगत प्रविष्टियों के साथ-साथ अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्त्ताओं द्वारा नोट की गई पेपर सील संख्या, यदि कोई हो, की जाँच करने के बाद किया जा सकता है। यदि पीठासीन पदाधिकारी द्वारा समर्पित पेपरसील लेखा में गलती का मामला हो तो इस अन्तर की उपेक्षा की जा सकती है, परन्तु यह विश्वास हो जाय कि मतपेटी में वस्तुतः कोई गड़बड़ी की गई है तो ऐसे मामले का पूर्ण विवरण जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से राज्य निर्वाचन प्राधिकार को भेजा जाना चाहिए और उस मतपेटी को अलग रखकर अन्य के लिये मतगणना प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए।

4. यदि पेपर सील क्षतिग्रस्त स्थिति में पाया जाय तो उस मतपेटी को नहीं खोला जाय। पुनः सीलबन्द कपड़े या थैले में लपेट कर उसे अलग रख दिया जाना चाहिए तथा इन तथ्यों की सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से राज्य निर्वाचन प्राधिकार को भेजकर प्राधिकार के निदेश की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। जहाँ पर ऐसी मतपेटिकाँ रखी जायें, वहाँ पर इस आशय की सूचना एक कार्डबोर्ड पर लिखकर लगा दी जाय, ताकि लोगों में इन मतपेटिकाओं को संबंध में कोई भ्रान्ति उत्पन्न न होने पाये।

5. मतपेटियों के मुहरों एवं पेपर सील की जाँच कर लिए जाने के पश्चात मतगणना पर्यवेक्षक/सहायक द्वारा मतपत्रों को मतपेटियों से निकालकर सम्बन्धित गणना पटल पर रखा जायेगा।

6. सभी गणना अभिकर्त्ताओं को यह समाधान कर लेने देना चाहिए कि मतपेटियों से सभी मतपत्र निकाल लिये गये हैं और वह खाली है। **गणना पर्यवेक्षक एवं गणना अभिकर्त्ताओं को पूर्णतः सावधान रहना चाहिए कि मतपत्रों को निकालते समय कोई मतपत्र इधर उधर न होने पाये।**

7. यह संभव है कि मतपेटी से मतपत्रों को निकालने के पश्चात् यह बात प्रकाश में आए कि निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रपत्र-ई 6 के अनुसार न होकर मतपत्र गलत तरीके से छप गया है, यथा कुछ मतपत्र में अभ्यर्थी का नाम प्रपत्र-ई 6 के अनुसार नहीं छपा है या एक ही निर्वाचन प्रतीक एकाधिक अभ्यर्थी के नाम के विरूद्ध छप गया है या प्रपत्र-ई 6 में उल्लिखित में किसी अभ्यर्थी को आवंटित निर्वाचन प्रतीक से भिन्न निर्वाचन प्रतीक मतपत्र में छप गया हो, तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित पद, जिसके बारे में गलत मतपत्र छप गया है परन्तु मतदान के दौरान प्रकाश में नहीं आया, से संबंधित मतों की गणना नहीं की जायेगी। इसके बारे में विस्तृत प्रतिवेदन निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०) के माध्यम से प्राधिकार को भेजा जायेगा और प्राधिकार के आदेशानुसार उसपर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

8. यदि किसी मतपेटी से मतपत्रों को बाहर निकालने के बाद यह पता चलता है कि मतपत्रों को बंडल बना कर उसपर मुहर लगाकर मतपेटी में गिराया गया है तो वैसी स्थिति में उस मतपेटी को अलग रखा जायेगा तथा इस संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजते हुए प्राधिकार का निदेश प्राप्त करेंगे।

9. गणना पटल/पटलों पर रखे गए सभी मतपेटिकाओं में से एक-के-बाद मतपेटिका से मतपत्र निकालकर अध्यक्ष/अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य/पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य/अति पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य एवं सामान्य कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य के सभी मतपत्र को पदवार पाँच अलग-अलग बंडल में छांट लिया जाएगा। यदि मतपत्र की संख्या अधिक होने के कारण एक पद विशेष के सभी मतपत्रों को एक बंडल में रखने में कठिनाई हो, तो उन्हें एक से अधिक बंडल में छांटकर रखा जाएगा और फिर पद विशेष के लिए उन सभी बंडलों को एकसाथ अलग रखा जाएगा। इस प्रकार विभिन्न पदों के लिए मतपत्र मतगणना टेबुल पर अलग-अलग लिफाफे में या ट्रे में गणना पर्यवेक्षक के सामने रखे जायेंगे। गणना पर्यवेक्षक मतपत्रों के छाँटने एवं उनके बंडल बनाने की प्रक्रिया पर गहरी नजर रखेंगे।

पदवार बंडल तैयार हो जाने के पश्चात् अब पद विशेष के प्रत्येक बंडल को खोलकर अभ्यर्थीवार प्राप्त मतों की संख्या को **प्रपत्र-क (1)** में दिये गये नमूने के अनुसार गणना शीट तैयार कर अंकित किया जाएगा। अभ्यर्थीवार प्राप्त कुल मतों की संख्या को **प्रपत्र-क (2)** में दिये गये नमूने के अनुसार अंकित किया जाएगा। **अगर किसी समिति के मतदान केन्द्रों की संख्या एक से अधिक हो तो प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए प्रपत्र-क (1) में अलग-अलग गणना शीट तैयार की जाएगी एवं उसके समेकित योग के आधार पर प्रपत्र-क (2) में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की संख्या अंकित की जाएगी।** प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त मतों के अलग-अलग बंडल बनाकर उसपर अभ्यर्थी के नाम की पर्ची चिपका दी जाएगी एवं उसे रबर बैंड से सुदृढ़ कर दिया जाएगा ताकि उस अभ्यर्थी का कोई मतपत्र इधर-उधर नहीं हो पाये।

10. तत्पश्चात् उपर्युक्त तरीके से तैयार प्रत्येक अभ्यर्थी के बंडल में से विधिमान्य एवं संदेहास्पद मतपत्रों के अलग-अलग बंडल बना लिये जायेंगे एवं उन्हें रबर बैंड से सुदृढ़ कर दिया जाएगा। संदेहात्मक मतपत्रों में ऐसे मतपत्र होंगे जिन्हें गणना सहायकों ने संदेहात्मक समझा होगा और जिनपर अभ्यर्थी के गणना अभिकर्त्ता द्वारा संदेह/आपत्ति किये गये हों। यदि किसी मतपत्र के बाबत आपत्ति बनी रहती है तो गणना पर्यवेक्षक, निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी का निर्णय उस मतपत्र के संबंध में प्राप्त करेंगे, और तदनुसार उक्त मतपत्र/संदेहात्मक मतपत्र निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत किये जाने पर उन सभी मतपत्रों को प्रतिक्षेपित की श्रेणी में रखा जायेगा और उस बन्डल पर ''प्रतिक्षेपित'' का मुहर लगा दिया जाएगा।

अन्तिम रूप से प्रतिक्षेपित करने के पूर्व अभ्यर्थी या उसके अभिकर्त्ता, जो उपस्थित हों, उनको निरीक्षण करने का अवसर दिया जायेगा और यदि अभिकर्त्ता किसी मतपत्र की क्रम संख्या इस आधार पर नोट करना चाहे कि किस कारण से उसकी विधिमान्यता संदिग्ध है या किस आधार पर अस्वीकृत किया गया है तो उन्हें ऐसा नोट करने की अनुमति दी जायेगी। **पर उन्हें किसी भी हालत में किसी मतपत्र को हाथ लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।**

11. **मतपत्रों की संवीक्षा और उन्हें प्रतिक्षेपित किया जाना** - (1) मतपेटी में अन्तर्विष्ट किसी मतपत्र को उस दशा में प्रतिक्षेपित कर दिया जायगा, यदि

(क) उस पर ऐसा कोई चिह्न या लेख है जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता है, या

(ख) वह बनावटी मतपत्र है, या

(ग) वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत किया गया है कि उसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है, या

(घ) उस पर प्रभेदक चिह्न या पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है, या

(ड.) मतपत्र चिह्नित नहीं किया गया है, या

(च) अध्यक्ष/ सचिव/ कोषाध्यक्ष पद के लिए एक; पिछड़ा वर्ग ; अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पद के मामले में दो से अधिक अभ्यर्थी के कॉलम में चिह्न लगाया गया है तथा सामान्य कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पद के मामले में यथा अनुमान्य पाँच/ छः से अधिक अभ्यर्थी के कॉलम में चिह्न लगाया गया है।

(छ) उस पर प्राधिकार द्वारा विहित उपकरण से भिन्न उपकरण से चिह्न लगाया गया है;

(ज) ऐसा कोई अन्य आधार जो प्राधिकार द्वारा सामान्य या विशिष्ट निदेश से विहित किया गया हो:

परन्तु यह कि निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का समाधान हो जाने पर कि खण्ड (घ) में वर्णित त्रुटि संबंधित पीठासीन पदाधिकारी या मतदान पदाधिकारी की भूल के कारण हुई है, यह निदेश दे सकेगा कि खण्ड (घ) की त्रुटि के आधार पर मतपत्र प्रतिक्षेपित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि यदि मतदाता द्वारा अंकित किये गये चिह्न का विस्तार मतपत्र के दो कॉलमों में हो गया हो तो उस मत की गणना उस अभ्यर्थी के पक्ष में की जाएगी जिसके कॉलम में चिह्न का अधिक भाग पड़ता हो।

प्रतिक्षेपित करने के लिए एक मुहर में ही ऊपर (क) से (छ) तक के कारणों को विनिर्दिष्ट कराकर तैयार कर ली गई मुहर से काम चलाया जा सकता है। उस विशिष्ट कारण के सामने जिस कारण वह मतपत्र अस्वीकृत (प्रतिक्षेपित) किया गया है, सही (√) का चिह्न लगा कर और नीचे हस्ताक्षर कर काम चलाया जा सकता है।

12. मतपेटिका में अन्तर्विष्ट किसी मतपत्र पर पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं रहने पर सामान्यतः उसे मतों की गणना में शामिल नहीं करना है। परन्तु यदि निर्वाचन पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि सम्बन्धित पीठासीन पदाधिकारी की भूल के कारण मतपत्र पर हस्ताक्षर नहीं हो पाया तो उस स्थिति में सम्बन्धित मतपत्र को गणना में शामिल किया जायेगा। स्पष्टतः इस बिन्दु पर काफी सोच-विचार कर निर्णय लेना आवश्यक है। यह सम्भव है कि असामाजिक तत्वों द्वारा पीठासीन पदाधिकारी के हस्ताक्षर के पहले ही मतपत्र को लूटकर उसपर जबरदस्ती मुहर लगाकर मतपेटी में डाल दिया गया हो। इस प्रकार के मामला पर निर्णय लेने में पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। ऐसे मामले में यह देख लेना आवश्यक है कि कितनी संख्या में मतपत्र पर पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। **यदि किसी एक बण्डल के मतपत्र में किसी भी मतपत्र पर पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है और इस प्रकार के सभी मतपत्र पर एक विशेष अभ्यर्थी के पक्ष में मत डाले गए हैं तो यह मान लिया जायेगा कि उपर्युक्त सभी मतपत्र जबरन मतपेटिका में डाले गये हैं।** अतएव ऐसे मतपत्र को गणना में शामिल नहीं किया जायेगा। कहने का मतलब है कि छिट-पुट कुछ मतपत्र में पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं रहने पर ही सम्बन्धित मतपत्र को अस्वीकृत नहीं किया जायेगा। इसमें संशय की स्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०) से आदेश प्राप्त किया जायेगा जो अन्तिम होगा।

13. मतगणना के दौरान कुछ ऐसे क्षतिग्रस्त या विकृत मतपत्र पाये जा सकते हैं जिनकी पहचान स्थापित करना संभव नहीं हो। आम तौर पर मतपेटी में या मतपत्र पर पानी, स्याही या अन्य तरल पदार्थ डालकर उसे क्षतिग्रस्त किया जाता है। मूल रूप से यह देखना है कि मतपेटी में या मतपत्र पर स्याही आदि डालने के कारण मतपत्र किस तरह से विकृत या

क्षतिग्रस्त हुआ है। यदि मतपत्र इस प्रकार से क्षतिग्रस्त हुआ है कि उसे पहचाना नहीं जा सकता है या उससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किस अभ्यर्थी के पक्ष में वोट डाला गया है तो ऐसी स्थिति में उन मतपत्रों को गणना में शामिल नहीं किया जायेगा। यदि इस प्रकार के मतपत्रों को सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को छोड़कर शेष किसी अभ्यर्थी के पक्ष में जोड़े जाने पर भी यदि उस अभ्यर्थी को प्राप्त मतपत्र सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतपत्र से कम हो तो उस स्थिति में इस प्रकार क्षतिग्रस्त मतपत्र को नजरअन्दाज किया जायेगा क्योंकि इससे निर्वाचन का फलाफल दूषित नहीं होता है, अन्यथा इसके बारे में विस्तृत प्रतिवेदन निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०) को भेजा जायेगा और उसपर जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०) का आदेश, जो अन्तिम होगा, प्राप्त किया जायेगा और तदुपरान्त आगे की कार्रवाई की जायेगी।

14. इसके अलावा किसी मतपत्र को केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जायेगा कि :-

(क) किसी एक ही उम्मीदवार के खाने में एक से अधिक चिह्न लगाये गये हैं, या

(ख) एक ही उम्मीदवार के खाने में स्पष्ट चिह्न के अतिरिक्त उसके पृष्ठ भाग में भी चिह्न लगे हुए हैं, या

(ग) वह चिह्न किसी एक उम्मीदवार के खाने में लगकर चिह्न का शेष भाग खाली स्थान में लगा है, या

(घ) मत उपदर्शित करने वाला चिह्न अस्पष्ट है या एक से अधिक वार लगाया गया है यदि मतपत्र चिन्हित किये जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से यह मालूम हो जाय कि वह चिह्न किसी विशेष उम्मीदवार को मत देने के आशय से लगाया गया है, या

(ङ) मतदाता द्वारा मतपत्र को हाथ में लेते समय असावधानी के कारण अंगूठे पर लगी स्याही से जो मतपत्र के प्रतिपर्ण पर अंगूठे का निशान लेते समय लगाई गई थी, मतपत्र पर हल्का सा अस्पष्ट अंगूठे का निशान या धब्बा लग गया हो।

15. विधिमान्य और अविधिमान्य मतपत्रों के दृष्टांत **परिशिष्ट-2** में प्रदर्शित किये गये हैं, जिनकी आवश्यकतानुसार आप सहायता ले सकते हैं। किसी मतपत्र को केवल तभी अस्वीकार किया जाय जब :-

(क) उसपर कोई चिह्न न लगा हो या वह चिह्न इस प्रयोजन के लिए दिये गये उपकरण से न लगा कर अन्य प्रकार से लगाया गया हो, या

(ख) जब चिह्न निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों के पक्ष में लगाया गया हो, या

(ग) जब उसपर ऐसा कोई लेख या चिह्न हो जिससे मतदाता पहचाना जा सकता हो, या

(घ) मतपत्र इतना क्षतिग्रस्त या विकृत हो गया हो कि वह पहचाना ही न जा सके, या

(ङ) यह मतपत्र असली न हो या जाली हो।

16. संदिग्ध मतपत्रों की श्रेणी में केवल उन्हीं मतपत्रों को रखा जाय जो वास्तव में अभ्यर्थी संदिग्ध मानते हों ताकि निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्णय लेने के लिए संदिग्ध मतपत्रों की संख्या अनावश्यक रूप से अधिक न हो जाय। गणना पर्यवेक्षक /गणना सहायकों के मार्ग दर्शन हेतु एक संक्षिप्त निर्दिष्ट पत्र अलग से तैयार कर **परिशिष्ट-3** में दे दिया गया है जिसे पर्याप्त संख्या में चक्रचालित/फोटो कापी कराकर इनके बीच वितरित कर दिया जाना चाहिए।

17. इस प्रकार गणना पर्यवेक्षक द्वारा पदवार गणना किये जाने के बाद गणना पर्यवेक्षक अभ्यर्थीवार मतपत्रों के उन बंडलों को निर्वाचन/उप निर्वाचन पदाधिकारी के पास लायेंगे और उन बन्डलों पर एक जाँच पर्ची लगाई जायेगी जिसपर मतदान केन्द्र संख्या और बन्डल के मतपत्रों की संख्या अंकित हो। निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी अपनी मेज पर ऐसी व्यवस्था रखेंगे ताकि अभ्यर्थीवार बन्डलों को पृथक-पृथक कर रख सकें। निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी अपने निकट एक या दो सहायक रख सकते हैं ताकि गणना पटलों से पर्यवेक्षक के द्वारा लाये गये सभी बन्डल को सही तरीके से रख सकें। गणना पर्यवेक्षक अभ्यर्थीवार बन्डल तथा संदिग्ध बन्डल के साथ **प्रपत्र-क (3)** को भरकर निर्वाचन पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी के पास ले जायेंगे और बन्डलों के साथ ही यह भरा हुआ प्रपत्र रखा जायगा।

18. मतपत्रों के बंडलों की, यथा संभव, मतदान केन्द्रों की क्रम संख्या के अनुसार जाँच की जाय। मतपत्र लेखा के साथ बंडलों में उपलब्ध मतपत्रों की कुल संख्या से संतुष्ट हो लेने के बाद 'संदिग्ध' बंडल के मतपत्र की समीक्षा कर ली जाय। विधिमान्य मतपत्रों के बंडलों को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अभ्यर्थीवार सही रूप से छांटे गये हैं, परीक्षात्मक जाँच करनी चाहिए। यह परीक्षात्मक जाँच मतपत्रों के बन्डलों को रूपये के नोटों की तरह उलटते हुए उन अभ्यर्थी के प्रतीकों पर जिसके पक्ष में मत अंकित किया गया है, दृष्टि रखते हुए कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित हो जायेगा कि उन बन्डलों में ऐसा कोई मतपत्र नहीं है जिसे अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। यदि उपर्युक्त ढंग से किसी बन्डल के मतपत्रों को उलटकर देखने पर यह पता चले कि उसमें कुछ ऐसे मतपत्र हैं जिन्हें या तो अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए था या जिन्हें किसी दूसरी अभ्यर्थी के बन्डल में रखा जाना चाहिए था तो उस बन्डल के सभी मतपत्रों की गणना कर लेनी चाहिए और यदि ऐसी गणना करने से युक्तियुक्त संदेह हो कि ऐसा हो सकता है कि उस बन्डल की गणना करने वाले गणना कर्मचारियों ने जिन अन्य बन्डलों की गणना की है उसमें भी उन्होंने वैसी ही गलतियाँ की होंगी, तो उनसे भिन्न गणना कर्मचारियों के किसी दूसरे समूह द्वारा उन अन्य बन्डलों की पुनः गणना करने का निदेश दे सकते हैं । यह परीक्षात्मक जाँच प्रत्येक मतगणना केन्द्र में सभी गणना पटलों की गणना के लिए की जानी चाहिए।

19. मतगणना में और अधिक शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन लड़ने वाले विभिन्न अभ्यर्थियों के विधिमान्य मतपत्र के बंडलों की कुल संख्या के 5 प्रतिशत बंडलों की गणना निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपनी मेज पर करनी चाहिए। उन 5 प्रतिशत बंडलों का चयन इस प्रकार किया जाए कि उनमें निर्वाचन लड़ने वाले भिन्न-भिन्न अभ्यर्थियों के बंडल हों। इस प्रयोजन के लिए निर्वाचन पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी या किसी दूसरे प्राधिकृत पदाधिकारी की सहायता ले सकते हैं।

20. समीक्षा पूरी कर लेने के पश्चात उन ''संदिग्ध'' मतपत्रों को जिनको किसी अभ्यर्थी के पक्ष में विधिमान्य मत होना स्वीकार कर लिया गया है, उनसे संबंधित अभ्यर्थियों के बन्डलों में रख दिया जाए और संदिग्ध अन्य मतपत्रों को जिसे अस्वीकृत कर दिया गया है, अस्वीकृत (प्रतिक्षेपित) मतपत्रों के बन्डल में रख दिया जाए। सभी बंडलों की इस प्रकार संवीक्षा कर लेने और अपने निर्णय के अनुसार मतपत्रों का आवश्यक अन्तरण कर देने के पश्चात **प्रपत्र-क (3)** की प्रविष्टियों को पुनरीक्षित कर दिया जाना चाहिए और ऐसा करते समय **गणना पर्यवेक्षक के आँकड़ों के ऊपर कुछ न लिखें और न उन्हें काटकर पुनः लिखें, बल्कि उन आँकड़ों के आगे ही बढ़ाने या घटाने की ( + या – जैसे, 31 + 1 = 32 और 31 – 1 = 30 ) की आवश्यक प्रविष्टियाँ करें और उन पर अपना हस्ताक्षर कर दें।**

21. अध्यक्ष पद के मामले में मतों की गिनती के पश्चात सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को संबंधित पद के लिये निर्वाचित घोषित किया जायेगा। फिर अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति; पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य के मामले में अलग-अलग पद के लिये **अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाले क्रमशः दो-दो उम्मीदवारों** एवं सामान्य कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य के मामले में **अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाले यथा अनुमान्य पाँच/ छः उम्मीदवारों** को निर्वाचित घोषित किया जायेगा। निर्वाचन परिणाम **प्रपत्र-ख** में तैयार किया जाएगा।

22. एकल पद (अध्यक्ष तथा सचिव/ कोषाध्यक्ष पद) से संबंधित मतों की गणना पूरी होने के पश्चात उक्त पदों के लिये निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों में से सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले दो या अधिक अभ्यर्थियों को बराबर मत प्राप्त होने की स्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी उन अभ्यर्थियों के बीच लॉट निकालेंगे और जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट निकलेगा, उसे एक अतिरिक्त मत पाया हुआ माना जायेगा। उदाहरणस्वरूप अगर अध्यक्ष पद के दो अभ्यर्थियों को बराबर संख्या में अधिकतम 311-311 मत प्राप्त हुआ हो तो जिसके पक्ष में लॉट निकलेगा, उसे 311+1=312 मत प्राप्त हुआ माना जायेगा। तदनुसार **प्रपत्र-ख** में प्रविष्टि की जायेगी। निर्वाचन पदाधिकारी तदनुकूल मतगणना का परिणाम घोषित करेंगे। अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग कोटि से दो-दो सदस्यों का निर्वाचन होना है। सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले तीन या अधिक अभ्यर्थियों को बराबर-बराबर मत प्राप्त होने की स्थिति में निर्वाचन पदाधिकारी उन अभ्यर्थियों के बीच लॉटरी निकालेंगे और जिन दो व्यक्तियों के नाम से लॉटरी निकलेगी उन अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित किया जायेगा। उदाहरणार्थ, अगर दो पदों के लिये चार व्यक्तियों को बराबर-बराबर मत प्राप्त हुए है, तो उन चारों व्यक्तियों के नाम की पर्चियाँ बनाकर लॉटरी द्वारा दो पर्चियाँ निकाली जायेगी और जिन दो व्यक्तियों के नाम से ये पर्चियाँ निकलेंगी, उन्हें निर्वाचित घोषित किया जायेगा। इसी प्रकार सामान्य कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य के यथा अनुमान्य पाँच/ छः स्थानों के लिये अगर आठ व्यक्तियों को बराबर-बराबर मत प्राप्त होते है, तो उन आठों व्यक्तियों के नामों की पर्चियाँ बनाकर लॉटरी द्वारा यथा अनुमान्य पाँच/ छः पर्चियाँ निकाली जायेंगी और जिन यथा अनुमान्य पाँच/ छः व्यक्तियों के नाम से ये पर्चियाँ निकलेंगी, उन्हें निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

23. किसी मतदान केन्द्र पर अधिक से अधिक 95% (पंचानवे प्रतिशत) तक मत डाले जाने पर उसे स्वाभाविक मानकर मतों की गणना की जायेगी और तदनुसार गणना का परिणाम घोषित किया जायेगा। अतएव किसी मतदान केन्द्र में डाले गये मतों का प्रतिशत 95% (पंचानवे प्रतिशत) से अधिक होने पर उस मतदान केन्द्र से संबंधित मतों की गणना का परिणाम घोषित नहीं किया जायेगा तथा इसपर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०) के माध्यम से प्राधिकार को भेजा जायेगा और प्राधिकार के आदेशानुसार ऐसे मामले में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आगे की कार्रवाई की जायेगी। प्राधिकार को प्रतिवेदन इसके साथ **प्रपत्र-ग** में भेजा जायेगा।

**यदि मतों की गणना समाप्त होने के पश्चात अन्य विशिष्ट कारणों से भी प्रेक्षक अथवा निर्वाचन पदाधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिणाम की घोषणा के पूर्व प्राधिकार की अनुमति आवश्यक है तो वे प्रपत्र-ग में ही सम्पूर्ण विवरणी भरकर प्राधिकार से अनुमति प्राप्त करने की कार्रवाई करेंगे।**

**मतगणना में निविदत्त मतपत्रों का उपयोग –**

24. निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निविदत्त मतपत्रों के पैकेट तभी खोले जायेंगे, जब दो उम्मीदवारों के बीच हार जीत का अंतर हारने वाले अभ्यर्थी के पक्ष में प्राप्त निविदत्त मतपत्रों की कुल संख्या से कम हो। उदाहरणस्वरूप, अगर अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी श्री राम प्रसाद यादव को मतों की गिनती में उनके निकटतम प्रतिद्वंदी श्री विमल सिंह से चार मत अधिक प्राप्त हो, और विमल सिंह के पक्ष में सात निविदत्त मतपत्र पड़े हो तो ऐसी स्थिति में विमल सिंह के कुल मतों में इन सात मतों को भी जोड़ दिया जायेगा एवं तदनुसार निर्वाचन परिणाम अभिनिश्चित किया जायेगा।

25. मतों की गणना समाप्त होने के पश्चात सम्बन्धित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्वाचन प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाएगा जिसपर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर तथा पदनाम की मुहर भी रहेगी।

26. ऐसी संभावना उत्पन्न हो सकती है कि एक से अधिक मतदान केन्द्र वाले समिति में मतदाताओं द्वारा कतिपय मतदान केन्द्र पर मतदान का बहिष्कार किया गया हो, वैसी स्थिति में संबंधित मतदान केन्द्र पर मतदान प्रक्रिया वैध रूप से सम्पन्न हुई समझी जायेगी तथा मतों की गणना में इस प्रकार के मतदान केन्द्रों में डाले गये मतों को भी गणना में शामिल किया जायेगा। पर चूंकि इस प्रकार के मतदान केन्द्रों पर वास्तव में कोई मतदान नहीं हुआ है, इसीलिए डाले गये मतों की संख्या `0' मानकर उक्त मतदान केन्द्र से संबंधित चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को 'शून्य' मत प्राप्त हुआ समझकर प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में '+0' अंकित की जायेगी और तदनुसार निर्वाचन परिणाम की विवरणी तैयार की जायेगी तथा मतदान का परिणाम घोषित किया जायेगा। एक मतदान केन्द्र वाले समिति में मतदान का बहिष्कार किये जाने पर निर्वाचन हेतु नये सिरे से कार्रवाई की जायेगी।

**नोट : प्रपत्रों की पर्याप्त मुद्रित प्रति यदि उपलब्ध न हो तो हाथ से तैयार कर अथवा टंकित/ चक्रचालित/ फोटो कॉपी कराकर पर्याप्त संख्या में तैयार कर रखनी चाहिए।**

## अध्याय-12

# गणना की समाप्ति के पूर्व मतपत्रों के विनष्ट हो जाने, हानि पहुँच जाने आदि की दशा में अपनाई जाने वाली कार्रवाई

मतगणना के क्रम में यह बात प्रकाश में आ सकती है कि मतदान के सिलसिले में किसी मतदान केन्द्र/केन्द्रों पर भयंकर अनियमितता कराई गयी है, अथवा मतगणना के दौरान अनधिकृत एवं गैर कानूनी ढंग से मतपेटी/मतपत्र को विनष्ट किया गया है या हानि पहुँचाई गई है या कोई आपातकालीन घटना घट जाने के कारण मतदान का परिणाम दूषित हुआ है या परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, तो निर्वाचन पदाधिकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से सभी तथ्यों के संबंध में राज्य निर्वाचन प्राधिकार को विस्तृत प्रतिवेदन तुरत भेजेंगे और उस मतदान केन्द्र के मतों की गणना के सम्बन्ध में प्राधिकार के निर्देशों का अनुपालन करेंगे। **इस संबंध में सारभूत बात यह देखनी चाहिए कि वस्तुतः घटित घटना से मतदान प्रदूषित हुआ है या नहीं, अर्थात परिणाम अभिनिश्चित करना संभव है या नहीं। इस संबंध में पर्यवेक्षक द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर ही प्राधिकार मतगणना को रोककर आवश्यक निदेश देगा।**

# अध्याय-13

# पुनर्गणना

**प्रपत्र-क** (3) को अच्छी तरह से तैयार कर लेने तथा आँकड़ों संबंधी घोषणा कर देने के बाद एक दो मिनट के लिए कार्यवाही रोक देनी चाहिए। इस अवधि के दौरान कोई अभ्यर्थी या उनकी अनुपस्थिति में उनका निर्वाचन अभिकर्त्ता/गणन अभिकर्त्ता पुनर्गणना की माँग करता है तो यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसको पुनर्गणना के लिए लिखित आवेदन पत्र देने में कितना समय लगेगा। आवेदन देने के लिए समय निर्धारित कर देना चाहिए और लिखित आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब तक इस प्रकार निर्धारित समय बीत नहीं जाता है, तब तक **प्रपत्र-ख** जिसका संबंध मतों की गणना के परिणाम एवं निर्वाचन परिणाम की विवरणी से है, को पूरा नहीं करना चाहिए और उसपर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। यदि पुनर्गणना के लिए कोई आवेदन पत्र दिया जाता है तो उसमें बताए गए आधारों पर सम्यक् रूप से विचार कर आवश्यक निर्णय लिया जाय। यदि आवेदन पत्र युक्तियुक्त हो, तो उसे पूर्णत: या आंशिक स्वीकार किया जा सकता है। और यदि जाँच के बाद पुनर्गणना की मांग बेबुनियाद सिद्ध हो तो उसे सीधे अस्वीकृत किया जाय। **किसी अभ्यर्थी द्वारा मतों की पुनर्गणना की मांग करने के अधिकार का यह अर्थ नहीं है कि उसके कहने मात्र से ही पुनर्गणना की माँग स्वीकार कर ली जाए। पुनर्गणना की माँग करने वाले पक्ष को यह सिद्ध करना आवश्यक होगा कि पुनर्गणना हेतु ठोस आधार है। इस संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा लेकिन प्रत्येक मामले में निर्णय के कारणों को संक्षेप में अभिलिखित कर देना चाहिए।** यदि किसी मामले में पुनर्गणना के लिए आवेदन पत्र को पूर्णत: या अंशत: स्वीकार किया जाता है, तो उक्त निर्णय के अनुसार उन मतपत्रों की पुनर्गणना करनी चाहिए। पुनर्गणना का अर्थ मूर्त्त रूप में मतगणना की पुनरावृत्ति मात्र नहीं है वरन् प्रत्येक मतपत्र की पुन: संवीक्षा करनी है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि जिन मतपत्रों की गिनती विधिमान्य हैं और यदि वे विधिमान्य हैं, तो वह मत किस उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया है।

2. पुनर्गणना पूरी हो जाने के बाद परिणाम प्रारूप को आवश्यकतानुसार जोड़/घटाव कर, जैसा कि ऊपर अध्याय 11 की कंडिका 20 में दिखाया गया है, संशोधित कर लें और उनकी घोषणा कर दें। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की कुल संख्या की घोषणा करने के बाद परिणाम प्रारूप को पूरा कर लिया जाए और हस्ताक्षरित किया जाए। **किसी भी परिस्थिति में दोबारा पुनर्मतगणना के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा और अन्तिम निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बाद पुनर्गणना के लिखित/मौखिक अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

3. विभिन्न पदों के लिये डाले गये मतों की गणना उपरांत, सिर्फ ऐसे मामले जिसमें प्राधिकार स्तर से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही मतगणना परिणाम घोषित किया जाना है, को छोड़कर, शेष सभी मामले में मतगणना परिणाम की विधिवत घोषणा कर दे एवं सम्यकरूपेण निर्वाचित अभ्यर्थी को तत्संबंधी निर्वाचन प्रमाण पत्र विहित **प्रपत्र-ई 9** में अविलम्ब हस्तगत करा दे।

## अध्याय-14

# मतों की गणना के पश्चात निर्वाचन कागजातों की सुरक्षित अभिरक्षा

मतों की गणना के पश्चात निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित कागजातों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करेंगे। निम्नांकित कागजात/अभिलेख सुरक्षित रखे जाने हैं -

(i) प्रतिपर्ण सहित अव्यवहृत मतपत्रों के पैकट।

(ii) व्यवहृत मतपत्रों के पैकेट, चाहे वे विधिमान्य, निविदत्त या प्रतिक्षेपित मतपत्र हों।

(iii) व्यवहृत मतपत्रों के प्रतिपर्णों के पैकेट।

(iv) निर्वाचक सूची की चिह्नित प्रतियों के पैकेट

(v) निर्वाचकों द्वारा की गई घोषणाओं और उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाण के पैकेट।

2. मतगणना समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन पदाधिकारी अपने निजी मुहर **( मेटल सील-R )** से उपर्युक्त कागजातों के पैकेटों को मुहरबन्द करेंगे। पैकेटों पर मुहर लगा दिये जाने के बाद अभ्यर्थी/उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता/गणन अभिकर्त्ता यदि चाहें तो उसपर अपना कोई मुहर लगा सकते हैं। ये अतिरिक्त मुहरें होगी।

3. उपर्युक्त सभी पैकेटों (निविदत्त मतपत्रों के पैकेटों के अलावा) को जो मतदान केन्द्र के पीठासीन पदाधिकारी से प्राप्त होते हैं, निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा तुरंत मुहरबन्द किया जाना है। इन सभी पैकेटों को मुहरबन्द किये जाने के बाद एक स्टील ट्रंक में रखा जाना है। जैसे-जैसे मतगणना होती जायेगी, संबंधित पैकेटों पर मुहर लगाकर उन्हें स्टील ट्रंक में रखते जाना होगा।

4. मुहर बन्द पैकेटों के पर्यवेक्षण के लिए एक उत्तरदायी प्रभारी पदाधिकारी को रखना आवश्यक है, ताकि महत्वपूर्ण कागजात को इधर-उधर होने से बचाया जा सके। कृपया नोट करें कि इन अभिलेख/कागजात को सही ढंग से रखने पर ही निर्वाचन संबंधी याचिकाओं की सुनवाई के क्रम में न्यायालय द्वारा कागजातों की मांग करने पर सुगमतापूर्वक न्यायालय में उपस्थापित किया जा सकेगा।

5. प्रत्येक स्टील ट्रंक को दो तालों से ताला बन्द किया जायेगा। प्रत्येक ताले को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने मुहर से मुहरबन्द किया जायेगा।

6. निर्वाचन परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद उसी दिन मुहरबन्द स्टील ट्रंक को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) के मुख्यालय में सुरक्षित अभिरक्षा में भंडारण हेतु भेज देना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) इन मुहरबन्द ट्रंकों को प्राप्त करने के पश्चात उन्हें जिला सहकारिता पदाधिकारी के प्रभार में सुरक्षित अभिरक्षा में दोहरे ताले के अधीन भंडारण करने की व्यवस्था करेंगे। प्रत्येक स्टील ट्रंक के एक ताले की चाभी को जिला सहकारिता पदाधिकारी को सौंप दिया जायेगा और उनसे इसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त कर ली जायेगी और प्रत्येक ट्रंक के दूसरे ताले की चाभी स्वयं जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) या उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा रखा जायेगा।

7. संबंधित भवन, जहाँ पर मतपत्रों की गणना के पूर्व मतपेटियों के रखने के लिए वज्रगृह बनाया गया है, उसपर तैनात सशस्त्र बल (पुलिस) को गणना की समाप्ति के पश्चात तुरन्त हटाना नहीं चाहिए। सशस्त्र बल (पुलिस गार्ड) तब तक निर्वाचन कागजातों की सुरक्षा करते रहेंगे जब तक कि निर्वाचन कागजात से संबंधित मुहरबन्द स्टील ट्रंक जिला मुख्यालय में परिवहन कर पहुँचाया न जा सके। जहाँ तक संभव हो उसी गार्ड का उपयोग मुहरबन्द स्टील ट्रंक के परिवहन के समय भी संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए, जिसका उल्लेख गार्ड अपने लॉग-बुक में अंकित करेंगे।

# LAYOUT OF COUNTING HALL

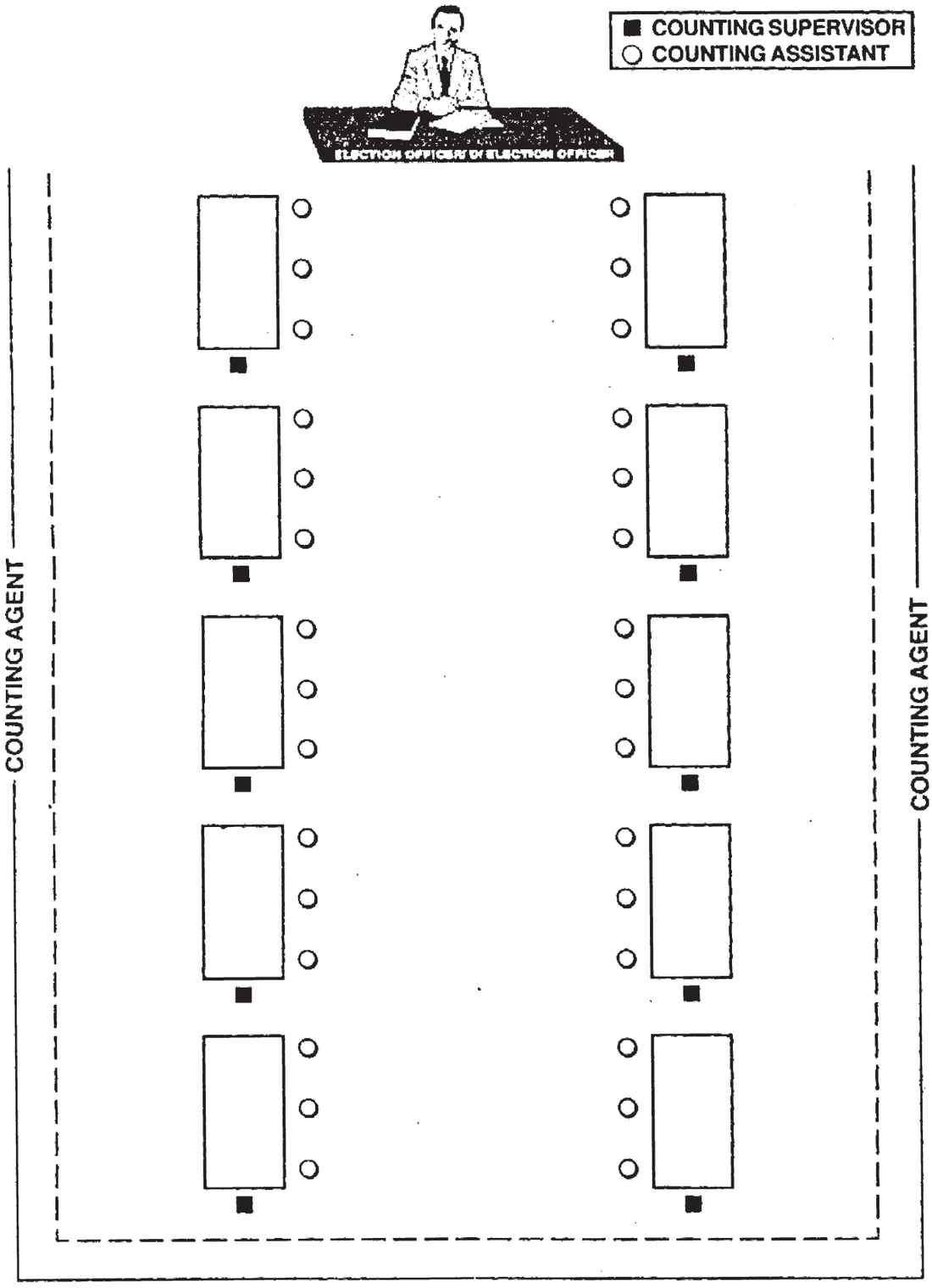

# विधिमान्य मतपत्र

## केस–1

**ऐसे मतपत्रों को मतगणना दल संदेहास्पद बंडल में रखेंगे जिसे निर्वाचन पदाधिकारी के जाँचोपरान्त/स्वीकृत किया जायगा।**

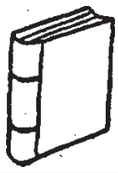

| | | | |
|---|---|---|---|
| कृपा नारायण सिंहा |   | रीता कुमारी |   |
| श्यामनन्दन महतो |   | कुसुम देवी |   |
| प्रेम सिंह |   | सुबोध राय |   |
| बतीसा सिंह |   | रामचन्द्र महतो |   |
| राम लोचन राय |   | सुखदेव पासवान |   |

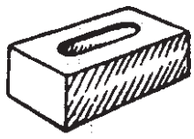

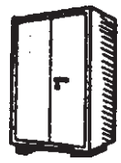

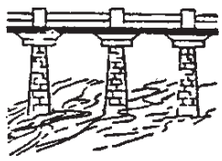

**1. सही निशान प्रथम उम्मीदवार में है परन्तु गलत मोड़ के कारण अन्य उम्मीदवार पर भी उलटा निशान पड़ गया है।**

# विधिमान्य मतपत्र
# केस–2

**ऐसे मतपत्रों को मतगणना दल संदेहास्पद बंडल में रखेंगे जिसे निर्वाचन पदाधिकारी के जाँचोपरान्त स्वीकृत किया जायगा ।**

| | |
|---|---|
| कृपा नारायण सिंह | रीता कुमारी |
| श्यामनन्दन महतो 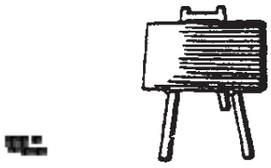 | कुसुम देवी |
| प्रेम सिंह 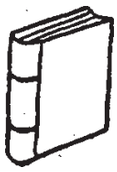 | सुबोध राय |
| बतीसा सिंह 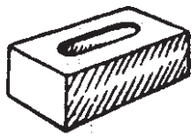 | रामचन्द्र महतो 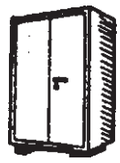 |
| राम लोचन राय 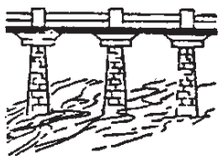 | सुखदेव पासवान |

**2. सही निशान प्रथम उम्मीदवार में है तथा स्याही का अतिरिक्त दाग द्वितीय उम्मीदवार पर पड़ गया है ।**

# विधिमान्य मतपत्र
# केस–3

ऐसे मतपत्रों को मतगणना दल द्वारा वैध माना जायेगा।

| | | | |
|---|---|---|---|
| कृपा नारायण सिन्हा | | रीता कुमारी | |
| श्यामनन्दन महतो | | कुसुम देवी | |
| प्रेम सिंह | | सुबोध राय | |
| बतीसा सिंह | 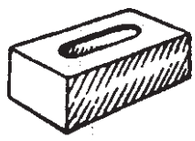 | रामचन्द्र महतो | 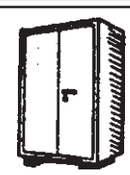 |
| राम लोचन राय | 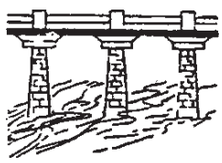 | सुखदेव पासवान | |

3. प्रथम उम्मीदवार में स्पष्ट निशान है और एक निशान का अधिकांश भाग शेडेड में है।

# विधिमान्य मतपत्र
# केस–4

**ऐसे मतपत्र को मतगणना द्वारा वैध माना जायगा।**

| | |
|---|---|
| कृपा नारायण सिन्हा 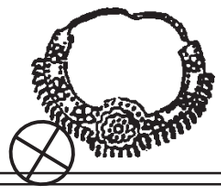 | रीता कुमारी |
| श्यामनन्दन महतो | कुसुम देवी |
| प्रेम सिंह 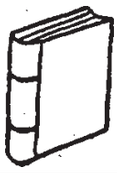 | सुबोध राय |
| बतीसा सिंह 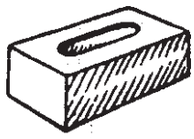 | रामचन्द्र महतो |
| राम लोचन राय 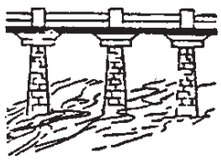 | सुखदेव पासवान |

**4. निशान का कुछ भाग प्रथम उम्मीदवार में है और शेष भाग शेडेड क्षेत्र में है।**

# विधिमान्य मतपत्र
# केस–5

**ऐसे मतपत्र को मतगणना दल द्वारा वैध माना जायगा।**

| | | | |
|---|---|---|---|
| कृष्ण नारायण सिन्हा | | रीता कुमारी | |
| श्यामनन्दन महतो | | कुसुम देवी | |
| प्रेम सिंह | 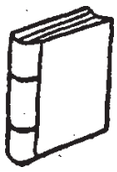 | सुबोध राय | |
| बतीसा सिंह | 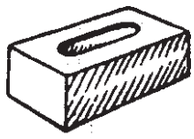 | रामचन्द्र महतो | 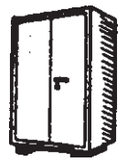 |
| राम लोचन राय | 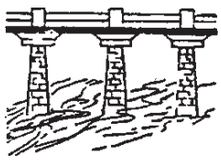 | सुखदेव पासवान | |

**5. प्रथम उम्मीदवार में एक से अधिक निशान है।**

# विधिमान्य मतपत्र
# केस–6

**ऐसे मतपत्र को मतगणना दल द्वारा वैध माना जायगा।**

| | |
|---|---|
| कृपा नारायण सिन्हा | रीता कुमारी |
| श्यामनन्दन महतो | कुसुम देवी |
| प्रेम सिंह | सुबोध राय |
| बतीसा सिंह 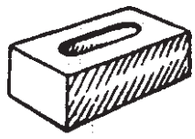 | रामचन्द्र महतो |
| राम लोचन राय 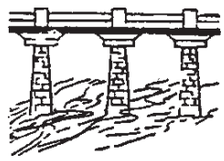 | सुखदेव पासवान |

**6. प्रथम उम्मीदवार के लिए स्पष्ट निशान।**

# विधिमान्य मतपत्र
# केस–7

**ऐसे मतपत्र को मतगणना दल द्वारा वैध माना जायगा।**

| | | | |
|---|---|---|---|
| कृपा नारायण सिन्हा | 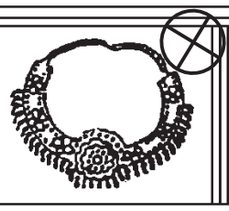 | रीता कुमारी | |
| श्यामनन्दन महतो | | कुसुम देवी | |
| प्रेम सिंह | 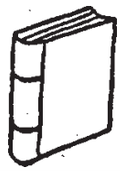 | सुबोध राय | |
| बतीसा सिंह | 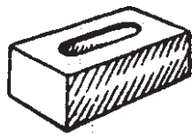 | रामचन्द्र महतो | 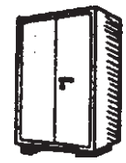 |
| राम लोचन राय | 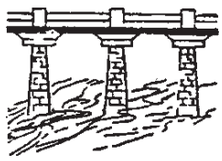 | सुखदेव पासवान | |

7. केवल प्रथम उम्मीदवार के लिए स्पष्ट निशान है (मुहर के किनारे भाग से चिह्नित है)।

# विधिमान्य मतपत्र
# केस–8

ऐसे मतपत्र को मतगणना दल द्वारा वैध माना जायगा।

| | |
|---|---|
| कृपा नारायण सिन्हा 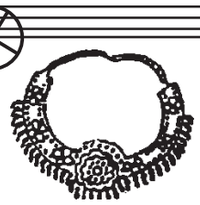 | रीता कुमारी |
| श्यामनन्दन महतो | कुसुम देवी |
| प्रेम सिंह 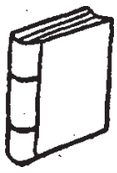 | सुबोध राय |
| बतीसा सिंह 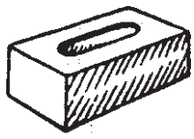 | रामचन्द्र महतो 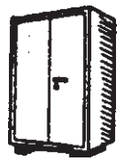 |
| राम लोचन राय 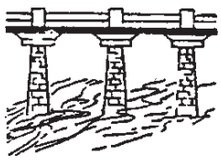 | सुखदेव पासवान |

8. केवल प्रथम उम्मीदवार के लिए स्पष्ट निशान है (निशान का अधिकांश भाग प्रथम उम्मीदवार में है तथा शेष भाग बाहर है)।

# अविधिमान्य मतपत्र

## केस–1

**ऐसे मतपत्रों को मतगणना दल द्वारा संदेहास्पद बंडल में रखा जायगा और निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा रद्द किया जायगा ।**

| | | | |
|---|---|---|---|
| कृपा नारायण सिन्हा | | रीता कुमारी | |
| श्यामनन्दन महतो | | कुसुम देवी | |
| प्रेम सिंह | 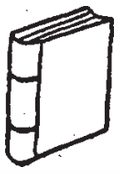 | सुबोध राय | |
| बतीसा सिंह | 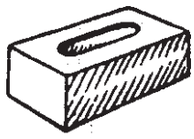 | रामचन्द्र महतो | 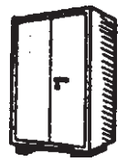 |
| राम लोचन राय | 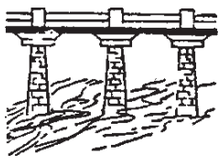 | सुखदेव पासवान | |

1. कोई निशान नहीं ।

# अविधिमान्य मतपत्र
# केस–2

**ऐसे मतपत्र को मतगणना दल द्वारा संदेहास्पद बंडल में रखा जायगा और निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा रद्द किया जायगा।**

| | | | |
|---|---|---|---|
| कृपा नारायण सिन्हा | | रीता कुमारी | |
| श्यामनन्दन महतो | | कुसुम देवी | |
| प्रेम सिंह | 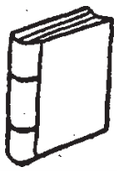 | सुबोध राय | |
| बतीसा सिंह | 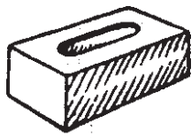 | रामचन्द्र महतो | 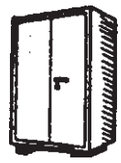 |
| राम लोचन राय | 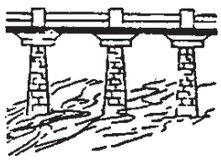 | सुखदेव पासवान | |

2. आपूर्त्ति किए गये मुहर से निशान नहीं।

# अविधिमान्य मतपत्र

## केस-3

ऐसे मतपत्र को मतगणना दल द्वारा संदेहास्पद बंडल में रखा जायगा और निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा रद्द किया जायगा।

| | | | |
|---|---|---|---|
| कृपा नारायण सिन्हा | | रीता कुमारी | |
| श्यामनन्दन महतो | | कुसुम देवी | |
| प्रेम सिंह | 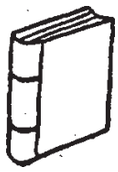 | सुबोध राय | |
| बतीसा सिंह | 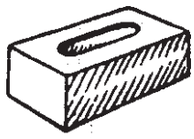 | रामचन्द्र महतो | 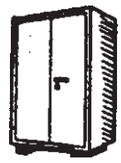 |
| राम लोचन राय | 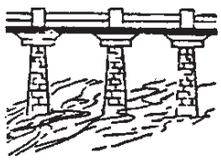 | सुखदेव पासवान | |

3. आपूर्त्ति किए गये मुहर से निशान नहीं।

# अविधिमान्य मतपत्र
# केस–4

**ऐसे मतपत्र को मतगणना दल द्वारा संदेहास्पद बंडल में रखा जायगा और निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा रद्द किया जायगा।**

| | |
|---|---|
| कृपा नारायण सिन्हा | रीता कुमारी |
| श्यामनन्दन महतो | कुसुम देवी |
| प्रेम सिंह 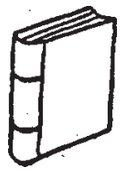 | सुबोध राय |
| बतीसा सिंह 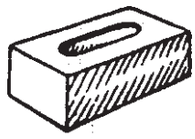 | रामचन्द्र महतो 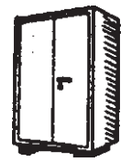 |
| राम लोचन राय 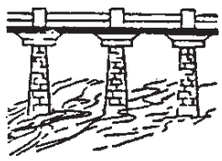 | सुखदेव पासवान |

4. निशान खाली क्षेत्र पर है।

# अविधिमान्य मतपत्र

## केस-5

ऐसे मतपत्र को मतगणना दल द्वारा संदेहास्पद बंडल में रखा जायगा और निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा रद्द किया जायगा।

| | |
|---|---|
| कृपा नारायण सिन्हा ⊗ | रीता कुमारी |
| श्यामनन्दन महतो | कुसुम देवी |
| प्रेम सिंह ⊗ 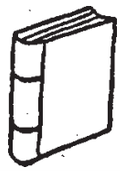 | सुबोध राय |
| बतीसा सिंह 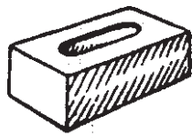 | रामचन्द्र महतो 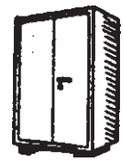 |
| राम लोचन राय 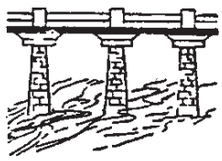 | सुखदेव पासवान ⊗ |

5. अनेक निशान।

# अविधिमान्य मतपत्र
## केस–6

**ऐसे मतपत्र को मतगणना दल द्वारा संदेहास्पद बंडल में रखा जायगा और निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा रद्द किया जायगा।**

| | | | |
|---|---|---|---|
| कृपा नारायण सिन्हा | | रीता कुमारी | |
| श्यामनन्दन महतो | 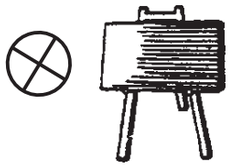 | कुसुम देवी | |
| प्रेम सिंह Suraj | 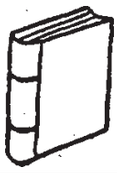 | सुबोध राय | |
| बतीसा सिंह | 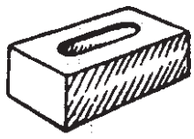 | रामचन्द्र महतो | 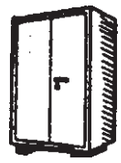 |
| राम लोचन राय | 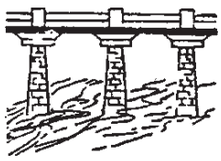 | सुखदेव पासवान | |

**6. मतदाता की पहचान हो रही है (हस्ताक्षर या नाम)।**

# अविधिमान्य मतपत्र

## केस–7

**ऐसे मतपत्र को मतगणना दल द्वारा संदेहास्पद बंडल में रखा जायगा और निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा रद्द किया जायगा।**

| | | | |
|---|---|---|---|
| कृपा नारायण सिन्हा | | रीता कुमारी | |
| श्यामनन्दन महतो | | कुसुम देवी | |
| प्रेम सिंह | | सुबोध राय SL. No.:242 | |
| बतीसा सिंह | 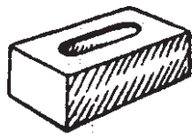 | रामचन्द्र महतो | 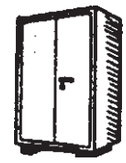 |
| राम लोचन राय | 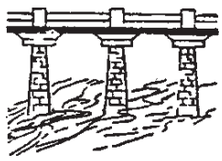 | सुखदेव पासवान | |

7. मतदाता की पहचान हो रही है (मतदाता का क्रमांक)।

# अविधिमान्य मतपत्र
# केस-8

**ऐसे मतपत्र को मतगणना दल द्वारा संदेहास्पद बंडल में रखा जायगा और निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा रद्द किया जायगा।**

| | | | |
|---|---|---|---|
| कृपा नारायण सिन्हा | | रीता कुमारी | |
| श्यामनन्दन महतो | | कुसुम देवी | |
| प्रेम सिंह | 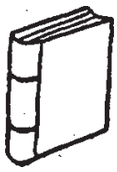 | सुबोध राय | |
| बतीसा सिंह | 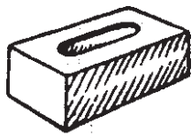 | रामचन्द्र महतो | 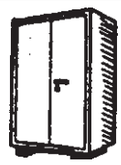 |
| राम लोचन राय | 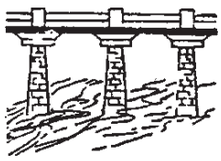 | सुखदेव पासवान | |

**8. मतदाता की पहचान हो रही है (हस्ताक्षर या नाम)।**

# अविधिमान्य मतपत्र

## केस–9

**ऐसे मतपत्र को मतगणना दल द्वारा संदेहास्पद बंडल में रखा जायगा और निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा रद्द किया जायगा।**

| | | | |
|---|---|---|---|
| कृपा नारायण सिन्हा | | रीता कुमारी | |
| श्यामनन्दन महतो | | कुसुम देवी | |
| प्रेम सिंह | 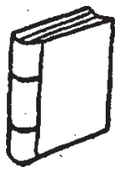 | सुबोध राय | |
| बतीसा सिंह | 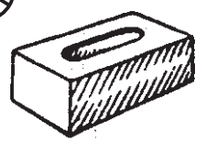 | रामचन्द्र महतो | 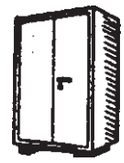 |
| राम लोचन राय | 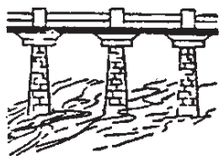 | सुखदेव पासवान | |

SL. No.:242

9. निशान संदेहास्पद है। पता नहीं चल पा रहा है कि निशान किस उम्मीदवार के लिए है।

## परिशिष्ट-3

# विधिमान्य और अविधिमान्य मतपत्रों के संबंध में निर्णय लेने हेतु गणना पर्यवेक्षकों/सहायकों के लिए महत्वपूर्ण निदेश

- **मतपत्रों की संवीक्षा और उन्हें प्रतिक्षेपित या अस्वीकृत किया जाना** :– (1) मतगणना के समय किसी मतपत्र को उस दशा में प्रतिक्षेपित कर दिया जायगा, यदि

(क) उस पर ऐसा कोई चिह्न या लेख है जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता है, या

(ख) वह बनावटी मतपत्र है, या

(ग) वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत किया गया है कि उसकी पहचान स्थापित नहीं की जा सकती है, या

(घ) उस पर प्रभेदक चिह्न या पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है, या

(ङ) मतपत्र चिह्नित नहीं किया गया है, या

(च) अध्यक्ष/ सचिव/ कोषाध्यक्ष पद के मामले में एक से अधिक अभ्यर्थी के कॉलम में चिह्न लगाया गया है; एवं अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कोटि से सदस्य/ पिछड़ा वर्ग कोटि से सदस्य तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि से सदस्य पद के मामले में प्रत्येक में दो से अधिक अभ्यर्थी तथा सामान्य कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य पद के मामले में यथा अनुमान्य पाँच/ छः से अधिक अभ्यर्थी के कॉलम में चिह्न लगाया गया है।

(छ) उस पर प्राधिकार द्वारा विहित उपकरण से भिन्न उपकरण से चिह्न लगाया गया है;

(ज) ऐसा कोई अन्य आधार जो प्राधिकार द्वारा सामान्य या विशिष्ट निदेश से विहित किया गया हो :

परन्तु यह कि निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का समाधान हो जाने पर कि खण्ड (घ) में वर्णित त्रुटि संबंधित पीठासीन पदाधिकारी या मतदान पदाधिकारी की भूल के कारण हुई है, यह निदेश दे सकेगा कि खण्ड (घ) की त्रुटि के आधार पर मतपत्र प्रतिक्षेपित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि यदि मतदाता द्वारा अंकित किये गये चिह्न का विस्तार मतपत्र के दो कॉलमों में हो गया हो तो उस मत की गणना उस अभ्यर्थी के पक्ष में की जाएगी जिसके कॉलम में चिह्न का अधिक भाग पड़ता हो।

- **इसके अलावा किसी मतपत्र को केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जायेगा कि :**

(क) किसी एक ही उम्मीदवार के खाने में एक से अधिक चिह्न लगाये गये हैं, या

(ख) एक ही उम्मीदवार के खाने में स्पष्ट चिह्न के अतिरिक्त उसके पृष्ठ भाग में भी चिह्न लगे हुए हैं, या

(ग वह चिह्न किसी एक उम्मीदवार के खाने में लगकर चिह्न का शेष भाग खाली स्थान में लगा है, या

(घ) मत उपदर्शित करने वाला चिह्न अस्पष्ट है या एक से अधिक वार लगाया गया है यदि मतपत्र चिन्हित किये जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से यह मालूम हो जाय कि वह चिह्न किसी विशेष उम्मीदवार को मत देने के आशय से लगाया गया है, या

(ङ) मतदाता द्वारा मतपत्र को हाथ में लेते समय असावधानी के कारण अंगूठे पर लगी स्याही से जो मतपत्र के प्रतिपर्ण पर अंगूठे का निशान लेते समय लगाई गई थी, मतपत्र पर हल्का सा अस्पष्ट अंगूठे का निशान या धब्बा लग गया हो।

- **विधिमान्य और अविधिमान्य मतपत्रों के कुछ दृष्टांत संलग्न परिशिष्ट-2** में प्रदर्शित किये गये हैं, जिनकी आवश्यकतानुसार आप सहायता ले सकते हैं। किसी मतपत्र को केवल तभी अस्वीकार किया जाय जब :

(क) उसपर कोई चिह्न न लगा हो या वह चिह्न इस प्रयोजन के लिए दिये गये उपकरण से न लगा कर अन्य प्रकार से लगाया गया हो, या

(ख) जब चिह्न निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों के पक्ष में लगाया गया हो, या

(ग) जब उसपर ऐसा कोई लेख या चिह्न हो जिससे मतदाता पहचाना जा सकता हो, या

(घ) मतपत्र इतना क्षतिग्रस्त या विकृत हो गया हो कि वह पहचाना ही न जा सके, या

(ङ) यह मतपत्र असली न हो या जाली हो।

- **संदिग्ध मतपत्रों की श्रेणी में केवल उन्हीं मतपत्रों को रखा जाय जो वास्तव में अभ्यर्थी संदिग्ध मानते हों ताकि निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्णय लेने के लिए संदिग्ध मतपत्रों की संख्या अनावश्यक रूप से अधिक न हो जाय।**

## प्रपत्र-क (1)

# मतों की गणना के लिए गणना-शीट का नमूना

**[ उदाहरण: अगर सात अभ्यर्थी मैदान में हों एवं कुल 250 मतपत्र( 5 बंडल ) पड़े हों ]**

| क्रम सं० | अभ्यर्थी का नाम | बंडलवार प्राप्त मतों की संख्या | | | | | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | रामजी प्रसाद | 13 | 7 | 12 | 2 | 0 | 34 |
| 2 | यशोदा सिंह | 8 | 16 | 11 | 18 | 7 | 60 |
| 3 | रूपा देवी | 7 | 5 | 9 | 16 | 30 | 67 |
| 4 | श्याम किशोर | 15 | 10 | 6 | 0 | 8 | 39 |
| 5 | मोहन पासवान | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 15 |
| 6 | राजेश गुप्ता | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 20 |
| 7 | सतीश राम | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 15 |
| | **कुल** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **250** |

**नोट : अगर किसी समिति में मतदान केन्द्रों की संख्या एक से अधिक हो तो प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए प्रपत्र-क (1) में अलग-अलग गणना शीट तैयार की जाएगी एवं उसके समेकित योग के आधार पर प्रपत्र-क (2) में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त मतों की संख्या अंकित की जाएगी।**

**प्रपत्र-क (2)**

# प्रपत्र-क (1) में अभ्यर्थीवार प्राप्त मतों की कुल संख्या को निम्न शीट में इस प्रकार अंकित किया जाएगा-

| क्रम सं० | अभ्यर्थी का नाम | प्राप्त मतों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | रामजी प्रसाद | 34 |
| 2 | यशोदा सिंह | 60 |
| 3 | रूपा देवी | 67 |
| 4 | श्याम किशोर | 39 |
| 5 | मोहन पासवान | 15 |
| 6 | राजेश गुप्ता | 20 |
| 7 | सतीश राम | 15 |

## प्रपत्र-क (3)

# निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम-पत्र (Result Sheet)

(**पदवार*** अलग-अलग तैयार किया जायगा)

जिला ..... प्रखंड .....

* समिति..... से अध्यक्ष
* समिति..... से सचिव/ कोषाध्यक्ष
* समिति..... से पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के दो सदस्य
* समिति..... से अति पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के दो सदस्य
* समिति..... से अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि से प्रबंध समिति के दो सदस्य
* समिति..... से सामान्य कोटि से प्रबंध समिति यथा अनुमान्य पाँच/ छः सदस्य

पद के लिए निर्वाचन

टेबुल संख्या **.....

| **क्रमांक** | **अभ्यर्थी का नाम** | **अभ्यर्थी के पक्ष में दिये गये विधिमान्य मतों की सं० (क)** | **प्रतिक्षेपित मतों की संख्या (ख)** | **डाले गये कुल मतों की संख्या (ग)** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| | **योग -** | | | |

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या -

(ख) प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या -

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या - (क + ख)

मतगणना का स्थान .....

तारीख .....

निर्वाचन पदाधिकारी /उप निर्वाचन पदाधिकारी
का हस्ताक्षर

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

** किसी समिति में एक से अधिक मतदान केन्द्र होने पर मतगणना हेतु दूसरे, तीसरे ख़ख़ख़ख़आदि टेबुल का उपयोग किया जाएगा, एवं तदनुसार परिणाम-पत्र प्रत्येक टेबुल से प्राप्त कर उसे समेकित किया जाएगा।

## प्रपत्र-''ख''

# निर्वाचन परिणाम की विवरणी

जिला ..... प्रखंड ..... समिति का नाम .....

* समिति.....से अध्यक्ष

* समिति.....से सचिव/ कोषाध्यक्ष

* समिति.....से पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के दो सदस्य

* समिति.....से अति पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के दो सदस्य

* समिति.....से अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि से प्रबंध समिति के दो सदस्य

* समिति.....से सामान्य कोटि से प्रबंध समिति यथा अनुमान्य पाँच/ छः सदस्य के लिए निर्वाचन।

| क्रमांक | अभ्यर्थी का नाम | अभ्यर्थी के पक्ष में दिये गये विधिमान्य मतों की संख्या। |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | योग- |

(क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या -

(ख) प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या -

(ग) डाले गये मतों की कुल संख्या -
(क + ख)

* मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सहकारी समिति के विभिन्न पदों के लिए निम्नांकित अभ्यर्थी सम्यक रूप से निर्वाचित *हो गये हैं :-

अध्यक्ष पद : (नाम).....; (पता).....

सचिव/ कोषाध्यक्ष : (नाम).....; (पता).....

पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य : 1. (नाम).....; (पता).....

2. (नाम).....; (पता).....

अति पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य : 1. (नाम).....; (पता).....

2. (नाम).....; (पता).....

अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति कोटि

से प्रबंध समिति के सदस्य : 1. (नाम).....; (पता).....

2. (नाम).....; (पता).....

सामान्य कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य : 1. (नाम).....; (पता).....

2. (नाम).....; (पता).....

3. (नाम).....; (पता).....

4. (नाम).....; (पता).....

5. (नाम).....; (पता).....

6. (नाम).....; (पता).....

निर्वाचन पदाधिकारी/ उप निर्वाचन
पदाधिकारी का हस्ताक्षर

---

*** अध्यक्ष/ सचिव/ कोषाध्यक्ष पद के मामले में अलग-अलग सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाय। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से प्रबंध समिति के सदस्य के मामले में अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवारों को, पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य के मामले में अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवारों को एवं अति पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य के मामले में अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवारों को तथा सामान्य कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य के मामले में अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाले यथा अनुमान्य पाँच/ छः उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया जाय।**

## प्रपत्र–''ग''

# 95% से अधिक मतदान होने पर परिणाम घोषणा की अनुमति हेतु प्रपत्र

**( देखें अध्याय-11 की कंडिका-23 )**

जिला का नाम ..... प्रखंड का नाम ..... समिति का नाम .....

मतदान केन्द्र संख्या .....

1. अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्त्ताओं द्वारा मतपेटिका की सील आदि को छेड़छाड़ करने संबंधी प्राप्त परिवाद यदि कोई हो, तो उस संबंध में जाँच तथा निष्पादन की प्रक्रिया एवं लिया गया निर्णय

2. मतगणना के दौरान पाई गई कोई असामान्य बातें जिससे अनियमितताओं की शंका उत्पन्न हुई हो, एवं उसपर लिया गया निर्णय

3. अभ्यर्थियों द्वारा मतों की पुनर्गणना का अनुरोध, तत्संबंधी आधार तथा निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय

4. अवैध मतों की संख्या, कुल डाले गये मतों की संख्या एवं निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या

| क्रमांक | अभ्यर्थी का नाम | डाले गये वैध मतों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

(क) कुल मतदाताओं की संख्या –

(ख) डाले गये वैध मतों की कुल संख्या –

(ग) अस्वीकृत किये गये मतों की कुल संख्या –

(घ) निविदत्त मतों की कुल संख्या –

5. मतदान का प्रतिशत : (क) 11 बजे पूर्वाह्न .....

(ख) 3 बजे अपराह्न .....

6. निर्वाचन पदाधिकारी की अनुशंसा तथा ऐसे अनुशंसा का कारण :

स्थान :

तिथि : निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

# बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

## सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु

# मतगणना अनुदेश

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार
32, हार्डिंग रोड, पटना-800001